लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 जुलाई, 2025 /30 आषाढ़, 1947 (शक)

संख्या 69

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री किशन कपूर (सदस्य, सत्रहवीं लोक सभा); श्री भगत राम (सदस्य, छठी लोक सभा); श्री कुमारी अनंथन (सदस्य, छठी लोक सभा); डॉ. गिरिजा व्यास (सदस्य, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा); श्रीमती मिनाती सेन (सदस्य, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा); श्री सुखदेव सिंह ढींढसा (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा); श्री छोटे सिंह यादव (सदस्य, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा) और श्री आनंद सिंह (सदस्य पाँचवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा) के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 भारतीयों के मारे जाने का भी उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की दुःखद दुर्घटना में 260 लोगों की जान जाने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए जान-माल के नुकसान का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले सफल मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 2025 को प्रख्यापित मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 1) की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्टार्स महाराष्ट्र (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स महाराष्ट्र (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्टार्स-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टार्स-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा, बिहार (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद), पटना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, बिहार (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद), पटना के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण अंडमान एवं निकोबार, श्रीविजयपुरम के

वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण अंडमान और निकोबार, श्रीविजयपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा, नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी, नागालैंड के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी, नागालैंड के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) समग्र शिक्षण, कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कवरत्ती के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कवरत्ती के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का प्रतिवेदन संख्यांक 3)।

(दो) मार्च, 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए रेल मंत्रालय के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) - (अनुपालन लेखापरीक्षा-रेलवे)।

(तीन) मार्च, 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक -संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2025 का संख्यांक 6) - (अनुपालन लेखापरीक्षा) - केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 164(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 165(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 278(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमाशुल्क और दिनांक 2 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या 22/2024-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/209 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन /2024/217 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2024/218 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/221 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनियम बनाने, संशोधन और समीक्षा करने की प्रक्रिया) विनियम, 2025 जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/229 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 14 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/233 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 मार्च , 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/235 में प्रकाशित हुए थे।

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तनों के साथ संरेखित करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.166(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान से आयातित 'ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4747(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में गुडेकोट एक्सटेंशन स्लॉथ भालू अभयारण्य की सीमा से एक क्षेत्र को गुडेकोट एक्सटेंशन स्लॉथ भालू अभयारण्य पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.1738(अ) जो दिनांक 4 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 9.8 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.4950(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के उत्तराकन्नड़ और शिवमोग्गा जिले में शरावती घाटी लायन टेल्ड मैकाक अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य* से 5.25 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.3039(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3132(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.4343(अ) जो दिनांक 7 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1564(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.654(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर और सोलापुर जिलों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) मीटर से 400 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.2938(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में मयूरेश्वर सुपे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 100 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.4132(अ)जो दिनांक 20 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अभयारण्यों और उद्यानों की सीमा के आस-

पास के क्षेत्र को नवेगोर-नागजीरा टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.2169(अ) जो दिनांक 3 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(दस) का.आ.2227(अ) जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1604(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ.2579(अ) जो दिनांक 3 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1367(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.3456(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3595(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.3445(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2202(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.3819(अ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.3956(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.4892(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.4331(अ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.4366(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.2633(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.4382(अ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3877(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.4495(अ) जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1175(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.4554(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.27(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.4566(अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.3250(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.4640(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1751(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.4637(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3034(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ.4705(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3630(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.4654(अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.2938(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ.3739(अ) जो दिनांक 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4205(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ.2436(अ) जो दिनांक 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3064(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ.4799(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर की एक समान सीमा तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ.2191(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के तीन जिलों अर्थात् पन्ना, छतरपुर और दमोह के 67 गांव शामिल हैं, की सीमा से 250 मीटर से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पन्ना टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.2984(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3063(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ.3549(अ) जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3064(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ.3584(अ) जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4030(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ.3738(अ) जो दिनांक 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3027(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का.आ.3943(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.4274(अ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ.2707(अ) जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3307(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ.2722(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2146(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ.3126(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1311(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ.3880(अ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3309(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ.2877(अ) जो दिनांक 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेघालय राज्य के पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स और दक्षिणी गारो हिल्स जिलों में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.272 किलोमीटर से 6.976 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ.2704(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1814(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का.आ.2783(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1659(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का.आ.3183(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवालीस) का.आ.3452(अ) जो 13 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ.3591(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.2906(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ.4546(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3313(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ.4647(अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4204(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ.4817(अ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.2638(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ.2016(अ) जो दिनांक 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें राजस्थान राज्य में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य* से 1.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ.4242(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ.1223(अ) जो 17 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ.523(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) से (पचास) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) वर्ष 2025-2026 के लिए खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) वर्ष 2025-2026 के लिए युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान,, रांची के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, हनमकोंडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, हनमकोंडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. आय-कर विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बैजयंत पांडा ने आय-कर विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. आय-कर विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का साक्ष्य अभिलेख

श्री बैजयंत पांडा ने आय-कर विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने 'विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त की गई न बिकी संपत्तियां' के बारे में श्री परषोत्तमभाई रुपाला, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1123 के 02.12.2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने के बारे में एक विवरण सभा पटल रखा।

(दो) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे**:-**

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि सभा द्वारा 01.07.2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर्विष्ट क्रम सं. 7 की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्यति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्य निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इथेनॉल डिस्टिलरी की स्थापना के बारे में।
2. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 20451/52 और 12059/60 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री आलोक शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं का संचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री दिलीप शइकीया द्वारा 'राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति' बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिला अस्पतालों में कैथेटेराइजेशन प्रयोगशाला सुविधा को एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों के साथ-साथ एनएच-64 और एनएच- 56(बी) के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिन्जिली में एक टेक्सटाइल पार्क और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा अन्य धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभ प्राप्त करने के बारे में।
9. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में बालासोन होते हुए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में छपरा जंक्शन और मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री रोडमल नागर द्वारा इंदौर-ग्वालियर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में।

12. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा तेलंगाना में महबूबनगर से तंदूर और जडचर्ला से मिर्यालगूड़ा तक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच तथा कैंसर प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में।

14. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में एनटीपीसी परियोजना में पात्र स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा कन्हान नदी में प्रदूषण रोकने और सिंचाई के लिए किसानों को पेंच बांध से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ. शशि थरूर द्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री मुहम्मद हमदुल्ला सईद द्वारा लक्षद्वीप में विशेष शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर द्वारा देश में अंधविश्वास से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री आदित्य यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा तमिलनाडु में कोयम्बटूर विमानपत्तन के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा वीरशैव लिंगायत/लिंगा बलिजा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थानीय नागरिक निकायों को विलंबित अनुदान जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा एपीडीएमसी द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाने के बारे में।

25. श्री के राधाकृष्णन द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवार के सदस्यों और घायल हुए लोगों को अधिक अनुग्रह मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक)

संख्या 70

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 251 और 253 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी संवर्ग, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.449(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप-निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 18 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक (सामान्य ड्यूटी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.421(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक

17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 21 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित 'वहन-पत्र विधेयक, 2025' से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने दिनांक 3 फरवरी, 2025 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् अठारहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखे।

1) विनियोग विधेयक, 2025;
2) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025;

3) मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025;
4) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025;
5) वित्त विधेयक, 2025;
6) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025;
7) रेल (संशोधन) विधेयक, 2025;
8) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025;
9) बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025; और
10) वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं।

1) तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2025;
2) "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025;
3) बायलर विधेयक, 2025;
4) आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025;
5) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025; और
6) मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025.

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और एनसीआरटीसी की भूमिका' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर) का कार्यकरण' के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. भारतीय पुनर्वास परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत रूप से नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं; जो भी अधिक हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

9. केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई

और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा वरली कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में 'वरली हाट' की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए विशेषीकृत अखिल भारतीय सेवा कैडर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय बांस मिशन परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री गणेश सिंह द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री पी.सी. मोहन द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में भूजल के बढ़ते प्रदूषण के बारे में।

7. श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में गंगा, फुलहर और कोशी नदी के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के बारे में।

8. श्री इटेला राजेंदर द्वारा हैदराबाद और विजयवाड़ा को जोड़ने वाले एनएच-65 पर चिंथलकुंटा चेक पोस्ट और ऑटो नगर के बीच प्रस्तावित अंडरपास के स्थान पर

एलिवेटेड फ्लाईओवर की आवश्यकता के बारे में।

9. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) पात्रता मानदंडों की समीक्षा और सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री हरीभाई पटेल द्वारा गुजरात के महेसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोटाना रेलवे स्टेशन के पास समपार संख्या 19 पर रेल उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव विमानपत्तन के टर्मिनल और रनवे का विस्तार जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में 5 गलियारों को कवर करने वाले हैदराबाद मेट्रो रेल चरण-II विस्तार प्रस्ताव के अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री के. सुधाकरन द्वारा केरल के सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के किफायती उपचार के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाने और स्वास्थ्य सहायता योजनाओं को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा एनएचएआई द्वारा हरियाणा के मुरथल गांव के किसानों की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे की दर के बारे में।

18. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बिहार में स्थित किशनगंज केंद्र के निर्माण कार्य को मंजूरी देने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के

बारे में।

19. श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा केरल में तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु में नागरकोइल के बीच ट्रैक दोहरीकरण परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दे के बारे में।

21. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री खलीलुर रहमान द्वारा विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में।

23. श्री थरानिवेंथन एम.एस. द्वारा कोराई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वंदावासी में हस्तशिल्प पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा पीएम श्री विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने और आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले को अधिक संख्या में विद्याललाय आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।

26. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा घाट रेलवे स्टेशन पर सहरसा-लोक मान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री सुदामा प्रसाद द्वारा बिहार में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के एजेंटों द्वारा ऋणदाताओं, विशेषकर महिलाओं को कथित रूप से परेशान किए जाने के बारे में।

28. श्री चंदन चौहान द्‌वारा दौराला-हस्तिनापुर-बिजनौर रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. एडवोकेट चन्द्रशेखर द्‌वारा रेलवे में भर्ती के एक भाग के रूप में सीबीटी और पीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्थापन डीवी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

30. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्‌वारा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की भौगोलिक सीमा के भीतर सरकारी विद्‌यालयों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 23 जुलाई, 2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 जुलाई, 2025 / 1 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 71

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025, जो दिनांक 16 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.315(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दूरसंचार (कठिनाइयों को दूर किया जाना) संशोधन आदेश, 2025, जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2962(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 20 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 323(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस-एनपीएफ), जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.746(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025, जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'केवीके के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विजय कुमार दूबे ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए :-

(1) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 388वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 389वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 390वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 393वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025.

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025.

अपराह्न 12.06 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा सोने की तरह चांदी की अनिवार्य हॉलमार्किंग किए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के विभिन्न भागों में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नांदसा गांव में नांदसा स्तूप को संरक्षित किए जाने और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दे के बारे में।
5. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के कटरा विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री धर्मबीर सिंह द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दे के बारे में।
7. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा देश में लड़कियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों के बारे में।
8. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा सड़क के किनारे फ्लाई ऐश फेंकने पर रोक लगाने के लिए अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. के. सुधाकर द्वारा देश में भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक या सांस्कृतिक समागमों/उत्सवों के दौरान भीड़ प्रबंधन विनियमों का सख्ती से पालन किए जाने की

आवश्यकता के बारे में।

10. श्रीमती कमलेश जांगड़े द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश में मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच नमो भारत रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री बंटी विवेक साहू द्वारा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक्ट ईस्ट नीति के बारे में।

15. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के तहत केरल के अंगमाली में अय्यम्पुझा में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी परियोजना के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में रेल अवसंचरना को उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा तेलंगाना और देश के अन्य भागों में फसलों में खरपतवार प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक विषाक्त खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा रूस में लापता हुए भारतीय नागरिकों के बारे में।

19. श्री सनातन पांडेय द्वारा सैन्य कर्मियों के लिए अलग रेलवे कोच आरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में खजुरहाट और कूरेभार के बीच समपार पर रेलवे अंडरपास के निर्माण के बारे में।

21. श्रीमती जून मालिया द्वारा दिल्ली के निकट वसंत कुंज स्थित जय हिंद कॉलोनी में

बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

22. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा नीति आयोग द्वारा भारत के मानचित्र के प्रकाशन में कथित त्रुटि के बारे में, जिसमें बिहार को पश्चिम बंगाल दिखाया गया है।

23. श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलाई शहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शहर में रेल अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा कीझाडी उत्खनन रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में।

25. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा विजयानगरम या विशाखापत्तनम में सेना के लिए सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार में बैजनलपुर-मथाई रेल खंड पर समपार संख्या 98सी और 99सी पर रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तटीय अपरदन उपशमन परियोजना के अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 / 2 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 72

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

3. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

4. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जनार्दन मिश्रा ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.01 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री विजय बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि नगर निगम रिसाली को हस्तांतरित किए जाने के बारे में।

2. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा द्वारा गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के तापी जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में।

7. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा एक व्यापक ऊँट संरक्षण और आजीविका योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. डॉ. सी.एम. रमेश द्वारा देश में पारिस्थितिकीय दृष्टि से टिकाऊ और बायो-इनपुट आधारित कृषि पद्धति को बढ़ावा देने वाली कृषि नीति की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री दुलू महतो द्वारा स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 13301/02) को बोकारो और पुरुलिया के रास्ते चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच राजधानी/वंदे भारत रेलगाड़ी सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा अविभाजित बिहार के राज्य निगमों के कर्मचारियों को देय राशि के भुगतान से संबंधित विवाद को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीमित होने के लिए व्यक्तियों के वेतन की अधिकतम सीमा 21000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये प्रति माह किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. मोहम्मद रकिबुल हुसैन द्वारा असम के विभिन्न जिलों में चलाए गए बेदखली अभियान से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

15. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा गुजरात में किसानों को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा ओणम त्यौहार के दौरान केरल के गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्ड धारक परिवारों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री हैबी ईडन द्वारा राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अंतर्गत ल्यूपस रोग को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. द्वारा तमिलनाडु में तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर रेल खंड पर कुलावनिगरपुरवम में 'Y' आकार के आरओबी के निर्माण के लिए केंद्रीय हिस्से की निधि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा देश में किसानों को डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के बारे में।

21. श्री मलैयारासन डी. द्वारा तमिलनाडु के कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्रीमती लवली आनंद द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर को भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए मौजूदा मानदंड में से कृषि भूमि के आकार को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कर्जत और खोपाली तक एसी लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री नवासखनी के. द्वारा तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल की कमी को दूर करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान

किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कोल्लम स्थित पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली भूमि को ईएसआईसी को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 / 3 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 73

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और सभा की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण कारगिल युद्ध के शहीदों के सम्मान में कुछ देर मौन रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भेषजी प्रैक्टिस (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-148/2024-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भेषजी परिषद (जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 19-1/2025-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 51 के अंतर्गत समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण) नियम, 2025, जो दिनांक 18 जून , 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री धर्मेन्द्र यादव ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सीएमपीएफओ प्रबंधन द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के डिबेंचर को भुनाने के लिए समय पर निर्णय लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 315.35 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि' विषय के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

(2) 'भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल प्रशासन की अनिर्णयता के कारण हानि : पूर्व मध्य रेलवे' के बारे में लोक लेखा समिति के 97वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(3) 'फॉर्म-'एफ' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करना' के बारे में लोक लेखा समिति के 136वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'बिक्री के दमन के कारण करापवंचन' के बारे में लोक लेखा समिति के 138वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अरविंद गणपत सावंत ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) - सहयोग की रूपरेखा' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'जी-20 देशों के साथ भारत की सहभागिता' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)*;* तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 18 लोक सभा के पाँचवें सत्र के शेष भाग के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.04 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पासी राजाओं से जुड़े ऐतिहासिक किलों, स्थलों और संरचनाओं का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले की महालक्ष्मी मिल को पुनः प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रियासी जिले में ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा मंगलुरु-लक्षद्वीप डेडिकेटेड जेट्टी परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों तक पहुँचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री अरुण गोविल द्वारा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) को उत्तराखंड के हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा जिले में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के बारे में।

9. श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में पुलिस विभाग के लिए भवन परिसर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री गौरव गोगोई द्वारा असम की बराक घाटी में क्षेत्रीय विकास के लिए रेल, सड़क और हवाई संपर्क को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा तेलंगाना के पेड्डापल्ली क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और खेतों में लघु कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल में ओलावक्कोड और थानावु के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 966 के खंड को चौड़ा करने के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में राजा रवि वर्मा ललित कला महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. डॉ. प्रशांत यादोराव पडोले द्वारा महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी के संरक्षण के बारे में।

15. श्री एम.के. राघवन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर 6-लेन परियोजना का विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे संबंधी मुद्दों के बारे में।

17. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान रेलगाड़ियों के बंद किए गए ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मजबूत विमानन उपायों के माध्यम से यात्री और विमान सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन का

उत्खनन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री राजकुमार रोत द्वारा 'भील प्रदेश' के निर्माण के बारे में।

अपराह्न 2.13 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 28 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 28 जुलाई, 2025 / 6 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 74

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक कैंद्र, तंजावुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कैंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड॰ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित संस्मारक - “रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-बर्धमान, पश्चिम बंगाल” के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(दो) संरक्षित संस्मारक - "विष्णु को दर्शाती चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति (सूर्य, गणेश, देवी आदि की आसन्न आकृतियों के साथ) स्थानीय रूप से विष्णु जनार्दन के नाम ज्ञात, स्थान-गुवाहाटी, जिला- कामरूप (अब कामरूप मेट्रो में), असम" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025॰

(तीन) संरक्षित संस्मारक - " बुरहानपुर , मध्य प्रदेश के किले में स्थित महल" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(चार) संरक्षित संस्मारक - "महादेव मंदिर, निरीक्षण बंगले के पास इसके कंपाउंड सहित, असीरगढ़, जिला- बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(पाँच) संरक्षित संस्मारक - "दुआर्गरिला रॉक शिलालेख, गुवाहाटी, जिला- कामरूप मेट्रो, असम" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(छह) संरक्षित संस्मारक - "राजा सुचेत सिंह का प्राचीन किला और राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि, रामनगर , जिला-उधमपुर, जम्मू और कश्मीर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(सात) संरक्षित संस्मारक - "एक बड़े शिलाखंड पर पहाड़ी की चोटी पर मदन महल, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(आठ) संरक्षित संस्मारक- “ उरबासी द्वीप पर नक्काशी, शिलालेख और स्तंभ, स्थान- गुवाहाटी, जिला - कामरूप (अब कामरूप मेट्रो में), असम” के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(नौ) संरक्षित संस्मारक - "शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(दस) संरक्षित संस्मारक - " बीजामंडल मस्जिद, भिलसा , जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(ग्यारह) संरक्षित संस्मारक- “गुफाएं 1 से 20 और गुप्त मंदिर के अवशेष, उदयगिरि , जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश” के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(बारह) संरक्षित संस्मारक - "सूर्य को समर्पित एक बड़ा मंदिर, कटारमल , जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(तेरह) संरक्षित संस्मारक - "कालसी स्थित अशोक रॉक एडिक्ट, जिला-देहरादून, उत्तराखंड" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(चौदह) संरक्षित संस्मारक - "गुजरी महल, जिला - हिस्सार (अब हिसार के रूप में ज्ञात), हरियाणा" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(पंद्रह) संरक्षित संस्मारक - "मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में बिशनपुर में विष्णु का मंदिर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(सोलह) संरक्षित स्थल - “कीरत सागर की महान झील, लगभग 1.5 मील की परिधि में 1063 ईस्वी से 1079 ईस्वी तक निर्मित, मलकपुरा, तहसील और जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश” के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(सत्रह) संरक्षित स्थल - "पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम 2025.

(अठारह) पुरातात्विक स्थल और अवशेष, द्रोणसागर, (गोविषाण टीला), काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(उन्नीस) संरक्षित स्थल - "मदन सागर झील, लगभग 3 मील का सर्किट, 1129-65 ईस्वी में मदन सागर, तहसील और जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश में निर्मित" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(बीस) संरक्षित संस्मारक - "रानी लक्ष्मी बाई महल, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 3952 के भाग में शामिल क्षेत्र सहित, तहसील और जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(इक्कीस) संरक्षित संस्मारक- " बालेश्वर मंदिरों का समूह और पत्थर की दीवारों तथा नौला या ढके हुए झरने से घिरी भूमि, बालेश्वर मंदिर, चंपावत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(बाईस) संरक्षित संस्मारक- " रुड़की (रुड़की) में पुराना कब्रिस्तान, जिला-हरिद्वार, उत्तराखंड" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(तेईस) संरक्षित संस्मारक - "राजा गंगा धर राव की छतरी, तालाब सहित और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1301 के भाग में शामिल आसन्न क्षेत्र, तहसील और जिला - झांसी, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(चौबीस) संरक्षित पुरातात्विक स्थल और अवशेष - "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 103, 104, 116, 247 और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 248 के भाग में शामिल प्राचीन स्थल और अवशेष, बुर्जहोम , तहसील और जिला - श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(पच्चीस) संरक्षित संस्मारक - "राजा सुचेत सिंह का प्राचीन महल, रामनगर, जिला-उधमपुर, जम्मू और कश्मीर" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

(छब्बीस) संरक्षित संस्मारक - "ग्वालियर किले में प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक - (एक) बादल महल या हिंडोला गेट (दो) चतुर्भुज मंदिर (तीन) गणेश गेट (चार) ग्वालियर या आलमगिरी गेट (पाँच) लक्ष्मण गेट (छह) मानसिंह का महल (सात) रॉक-कट जैन कॉलोसी (आठ) सास बहू मंदिर (नौ) तेली का मंदिर (दस) उरवाही गेट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा (झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद), रांची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा (झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद), रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) स्टार्स, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्टार्स, समग्र शिक्षा, केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टार्स, समग्र शिक्षा, केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) स्टार्स, (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टार्स, (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) गोवा समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गोवा समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.211(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.04.2022 में कतिपय संशोधन करना है ताकि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अनुसार यूएई से आयात किए जाने वाले निर्दिष्ट सामानों के संबंध में टैरिफ रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) यात्री नाम अभिलेख सूचना विनियम, 2022 जो दिनांक 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) यात्री नाम अभिलेख सूचना (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल के नियमों का प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 236(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.183(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 09 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमाशुल्क के अंतर्गत पुनःआयातित हीरों के लिए ऊंचाई में + 0.01 मिमी से अनधिक का अंतर प्रदान करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.210(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2021 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.218(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम सं॰ 515ग में प्रविष्टि को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.268(अ) जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 359ए की सूची 34क और सूची 34ख में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.273(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, ताकि उक्त अधिसूचना के एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2025 के तहत किए गए परिवर्तनों के साथ 01.05.2025 से संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.274(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 04/2025-सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(बारह) सा.का.नि. 302 (अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसे कलाकृतियों, प्राचीन वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने के लिए जारी किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.337(अ) जो दिनांक 23 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 355 (अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (एक) पीली मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात के लिए छूट की निर्दिष्ट शर्त को 31.03.2026 को या उससे पहले जारी किए गए वहन पत्र तक बढ़ाने; (दो) कच्चे सोयाबीन तेल (एचएस कोड 15071000), कच्चे सूरजमुखी तेल (एचएस कोड 15121110) और कच्चे पाम तेल (एचएस कोड 15111000) पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.435(अ) जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सरकारी बचत संवर्धन सामान्य (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

(निक्षेपागार एवं प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/245 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/238 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/237 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/235 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणन) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/251 में प्रकाशित हुए थे।

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/246 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2025 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या-05/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.176(अ) जो दिनांक 17 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "गैर-संधारित्र अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फॉयल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.175(अ) जो दिनांक 17 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसेल्स" पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.179(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "सॉफ्ट फेराइट कोर"

के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.185(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयातित "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.191(अ) जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "रोलर चेन" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.192(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 'ऐक्रिलिक सॉलिड सरफेस' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.276(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.300(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित 'ग्लूफोसाइनेट और उसके लवण' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.301(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.299(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित 'टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास' के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात 4 दिसंबर, 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.305(अ) जो दिनांक 10 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.372(अ) जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से आयातित "अघुलनशील सल्फर" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.373(अ) जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से आयातित "विटामिन-ए पामिटेट" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.398(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन तक के एल्युमीनियम फॉयल" के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.399(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, रूस और ताइवान में उद्भूत या वहां से आयातित "एसीटोनाइट्राइल" के

आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.400(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित “किसी भी रूप में प्रीटिलाक्लोर और इसके मध्यवर्ती-2, 6-डायथाइल-एन-(2-प्रोपोक्सीएथाइल) एनिलिन (जिसे पीईडीए भी कहा जाता है)” के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.404(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर ईरान और कतर में उद्भूत या वहां से आयातित "लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी)" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.407(अ) जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.406(अ) जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहां से निर्यातित "पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड" और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.418(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.243(अ) जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में, “गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात के चपटे उत्पादों” के आयात पर 200 दिनों की अवधि के लिए 12% की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, इसके अलावा, सुरक्षा शुल्क चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम को छोड़कर विकासशील देशों से उद्भूत उक्त वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 275(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 05/2024-सीमाशुल्क (सीवीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.304(अ) जो दिनांक 10 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास" के आयात पर अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.420(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित “ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव पिगमेंट को छोड़कर, प्रभाव पियरलेसेंट पिगमेंट या माइका पियरलेसेंट पिगमेंट” के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.424(अ) जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.441(अ) जो दिनांक 03 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयात पर 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.458(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 37/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1699(अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए लौह अयस्क खनन में लगे उद्योग की सेवाओं को 14 अप्रैल, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दो) का.आ.1924(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में लगी सेवाओं को 6 मई, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.2118(अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की अन्य) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(चार) का.आ.2241(अ) जो दिनांक 20 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए यूरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को 20 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

(पांच) का.आ.2518(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए तांबा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(छह) का.आ.2519(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए

बैंकिंग उद्योग में लगी सेवाओं को 15 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

(सात) का.आ.2520(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों के उद्योग में लगी सेवाओं को 24 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(आठ) का.आ.2714(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए कोयला उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को 28 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

(नौ) का.आ.2715(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दस) का.आ.2717(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए परमाणु ईंधन और घटकों, भारी जल और संबद्ध रसायनों और परमाणु ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे उद्योग की सेवाओं को 28 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

(ग्यारह) का.आ.2953(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों में लगे उद्योगों की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विदेशी शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त अर्हताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करना) विनियम, 2025 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.1-9/2023(समतुल्यता) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.सीए/498/2025/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, जिरानिया के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, जिरानिया के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, चुमौकेदिमा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, चुमौकेदिमा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) मिज़ोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सांबा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सांबा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सांबा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण) विनियम, 2025, जो 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/रेग-सीओपी/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 238 (अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिसम्बर 2024 में हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचन के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, 1949 की धारा 10ख के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का निर्णय करने के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को शामिल कर एक अधिकरण की स्थापना की गई है।

(दो) सा.का.नि. 1775(अ) जो 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा.का.नि. 432(अ) जो 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा.का.नि. 456(अ) जो 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) अधिसूचना सं. एफ.सं. 21-सीएमए/2025, जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीएमए (डॉ.) हेमंत कुमार सिंधवानी, निदेशक को 27 मार्च, 2025 से इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया के निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि 235(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि 237(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.सीडब्ल्यूआर(1)/2025 में प्रकाशित हुए थे।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख; कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 तथा लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433(अ), जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 361(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (दस्तावेजों और प्रारूपों की प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा फाइल करना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (अधिनिगमन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आस्ति प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय' के संबंध में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 25 जुलाई, 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री विजय बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के सिमगा तहसील के खपराडीह गांव में स्थित एक सीमेंट कंपनी द्वारा कथित अनियमितताओं के बारे में।

2. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के भंडारण और वितरण के बारे में।

3. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के बारे में।

4. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

5. श्री राजकुमार चाहर द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अंतरराष्ट्रीय मानक का खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

6. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ और अन्य जिलों में वर्षामापी यंत्रों के नियमित रखरखाव के लिए प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहाण्डी जिले में केसिंगा के लिए बाईपास सड़क की आवश्यकता के बारे में ।

8. डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

9. श्री नवीन जिंदल द्वारा कृषि-पर्यटन पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की सुविधा के लिए उत्राण रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा कठाणा-बोरसद-वडोदरा मार्ग पर रेल सेवा का संचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

12. श्री रामसहायम रघुराम रेड्डी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) में संशोधन के बारे में।

13. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बकाया धनराशि के भुगतान के बारे में।

14. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15. श्री जय प्रकाश द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत हरियाणा के हिसार विमानपत्तन को प्रमुख शहरों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

16. श्री मणिक्कम टैगोर बी. द्वारा आसियान ओपन स्काई नीति के अंतर्गत 'पॉइंट्स ऑफ कॉल' की सूची से तमिलनाडु के मदुरै को बाहर रखने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

17. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा पुल से शारदा बैराज तक तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

18. श्री छोटेलाल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

19. श्री अरूप चक्रवर्ती द्वारा पश्चिम बंगाल में मुकुटमणिपुर बांध की गाद निकालने और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना बनाए जाने

की आवश्यकता के बारे में ।

20. श्री मनि अ. द्वारा तमिलनाडु में अफईवली रोड पर आरओबी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

21. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू द्वारा आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के नरसाराओपेट में 100 शैय्या वाले ईएसआई अस्पताल की स्थापना के बारे में।

22. श्री गिरिधारी यादव द्वारा भागलपुर और ढाकामोड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-133ई को चार लेन का बनाए जाने के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

23. श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए समान मानदंड के बारे में।

24. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समुचित कार्यान्वयन के बारे में।

25. श्री राजा राम सिंह द्वारा आकाशवाणी द्वारा उर्दू सेवा कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग और प्रसारण पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री चंदन चौहान द्वारा 'धनगर' जाति की वर्तनी को सरकारी अभिलेखों में गलती से 'धनगड़' लिखने में शुद्धि किए जाने के बारे में।

27. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 1.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा।

उपलब्ध समय : 16 घंटे

लिया गया समय : 10 घंटे 52 मिनट

उपलब्ध समय : 5 घंटे 08 मिनट

अध्यक्ष ने विषय पर एक टिप्पणी# की।

तत्पश्चात, श्री राज नाथ सिंह* ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री रमाशंकर विधार्थी राजभर
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
5. @श्री राजीव रंजन सिंह
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. श्री अमर शरदराव काले
8. श्री बैजयंत पांडा
9. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
10. श्रीमती शांभवी

मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* रक्षा मंत्री

@ पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

11. श्री अभय कुमार सिन्हा
12. श्री वाई एस अविनाश रेड्डी
13. [$]डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर
14. श्री मियां अल्ताफ अहमद
15. श्री छोटेलाल
16. श्री तेजस्वी सूर्या
17. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
18. श्री तटकरे सुनील दत्तात्रेय
19. श्रीमती सुप्रिया सुले
20. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
21. श्री एस वेंकटेशन
22. श्री दिलेश्वर कामैत
23. श्री एम मल्लेश बाबू
24. श्री राजा राम सिंह
25. डॉ. राजकुमार सांगवान
26. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
27. श्री असादुद्दीन ओवैसी
28. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
29. एडवोकेट चन्द्र शेखर
30. श्री एन के प्रेमचन्द्रन
31. डॉ. तिरुमावलवन थोलकाप्पियान
32. श्री दिलीप शइकीया
33. श्री हनुमान बेनीवाल
34. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
35. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
36. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
37. श्री राजेश रंजन
38. श्री दुरई वाइको
39. श्री धर्मेन्द्र यादव
40. श्री जुगल किशोर
41. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला
42. श्री मोहम्मद हनीफ़ा
43. श्री राजकुमार रोत
44. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
45. श्रीमती कमलजीत सहरावत

[$] विदेश मंत्री

46. श्री गुरजीत सिंह औजला
47. श्री सौमित्र खान
48. श्री मनोज कुमार
49. श्री आनंद भदौरिया
50. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग
51. श्रीमती लवली आनंद
52. श्री शफी परम्बिल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 12.52 बजे

(लोक सभा आज मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 / 7 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 75

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. #अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष महोदय ने सभा की ओर से सुश्री दिव्या देशमुख को फिडे शतरंज महिला विश्व कप फाइनल जीतने पर बधाई दी। वे इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला और भारत की चौथी महिला शतरंज ग्रैंडमास्टर बनीं। अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती कोनेरू हम्पी को भी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुँचने पर बधाई दी।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 3 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.364(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 528(अ), जो 30 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 89 के सीटीएच 890690 के अंतर्गत आने वाली आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ.614(अ), जो 4 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ.2848(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल को टूटे हुए चावल के निर्यात के बारे में है।

(चार) का.आ.669(अ), जो दिनांक 7 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंतर्गत आयात नीति शर्त संख्या 1(तीन) में संशोधन के बारे में है।

(पाँच) का.आ.2847(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मानव कच्चे बाल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(छह) का.आ.1085(अ), जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 7110 के अंतर्गत कवर किए गए प्लेटिनम की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।

(सात) का.आ.2849(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का.आ.1110(अ), जो दिनांक 10 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-II (निर्यात नीति), आईटीसी(एचएस) 2022 के एचएसएन के अंतर्गत निर्यात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(नौ) का.आ.1116(अ), जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात अवधि के विस्तार के बारे में है।

(दस) का.आ.1117(अ), जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द ([एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेपर की फलियाँ]) [आईटीसी (एचएस) कोड 07133110] की "मुक्त" आयात नीति में विस्तार के बारे में है।।

(ग्यारह) का.आ.1251(अ), जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में यूरिया [एक्ज़िम कोड 31021010] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(बारह) का.आ.1340(अ), जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए आरओडीटीईपी को 5.2.2025 तक बढ़ाए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ.1562(अ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 2025-2026 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।।

(चौदह) का.आ.1578(अ), जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-20 के आईटीसी (एचएस) कोड 20081920 के अंतर्गत आने वाली भुनी हुई सुपारी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.1581(अ), जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रासंगिक एफएसएसएआई अधिसूचना के साथ अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V की सूची "क" में खाद्य आयात प्रवेश बिंदुओं के रूप में दरांग भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को शामिल किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ.1725(अ), जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-27 की आयात नीति शर्त संख्या 07(i) में संशोधन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.2347(अ), जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पाकिस्तान में उदभूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात या पारगमन पर प्रतिबंध - विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.20क के अंत:स्थापन के बारे में है।

(अठारह) का.आ.1839(अ), जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले बुने हुए सिंथेटिक कपड़ों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.2235(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांग्लादेश से भारत में कतिपय वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध - आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के अंतर्गत 'आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पण' के अंतर्गत एक नए पैरा 19 के अंत:स्थापन के बारे में है।

(बीस) का.आ.2237(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत

विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.2238(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए प्रस्तुत संशोधनों के साथ अनुसूची-II (निर्यात नीति), आईटीसी (एचएस) 2022 के सामंजस्य के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2367(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 01.05.2025 से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची के संरेखण के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2368(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 01.06.2025 से अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए आरओडीटीईपी की बहाली के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2369(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एफटीपी-2023 के पैरा 4.41(5) में संशोधन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ.2348(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 73 के अंतर्गत आने वाले रोलर चेन और उसके पुर्जों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.2350(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तैयार चमड़े, गीले नीले चमड़े, ईएल टैन्ड चमड़े और क्रस्ट चमड़े के निर्यात के लिए बंदरगाह संबंधी प्रतिबंधों और परीक्षण आवश्यकताओं को हटाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.2349(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 83 के अंतर्गत आने वाले कैबिनेट हिंजेस की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.2449(अ) जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात

नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात अवधि में विस्तार के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.2846(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो फार्मा ग्रेड चीनी के लिए निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तीस) का.आ.2777(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-I (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ.2774(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाली मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ.2781(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.03(क)(i)(छ) में संशोधन के बारे में है तथा जिसमें अग्रिम प्राधिकार धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन इनपुट के आयात के लिए समर्थकारी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक से दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

(1) का.आ. 1101(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3723(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ.1102(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को और इसमें उल्लिखित उनके उत्पादों को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसानों को सीधे थोक में बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है।

(3) का.आ.3042(अ) जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को और इसमें उल्लिखित उनके उत्पादों को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसानों को सीधे थोक में बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है।

(4) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (तीसरा) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1477(अ) में प्रकाशित हुआ था।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण एवं भर्ती-अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करना (प्रक्रिया) नियम, 2025 जो दिनांक 3 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.363(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड), डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 20 अप्रैल, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय माध्यस्थम् अधिकरण (कर्मचारी) परिनियम, 2025, जो दिनांक 20 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आरआरयू/आरईजीआई/परिनियम/माध्यस्थम् अधिकरण/2025/513(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 45ट की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) नियम, 2025, जो दिनांक 20 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप-निरीक्षक (कार्यकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 2025 का प्रतिवेदन संख्यांक 10 - संघ सरकार- भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का इनवेंटरी प्रबंधन - इस्पात मंत्रालय -(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक) की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) मेकोन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (पूर्व में एसआरटीईपीसी), मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (पूर्व में एसआरटीईपीसी), मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1830(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेश दिया गया है कि अधिसूचना के कॉलम 2 में निर्दिष्ट वस्तुओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2025 तक अधिसूचना के कॉलम 3 में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति या वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा।

(दो) का.आ.2902(अ) जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1830(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2016(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उसमें उल्लिखित, व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का.आ.2039(अ) जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अध्यधीन डॉ. के. श्रीनिवासुलु, आईएएस, बागवानी एवं रेशम उत्पादन निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) का.आ.2625(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री जय प्रकाश ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'क्षतिपूर्ति की प्राप्ति और इसके उपयोग में अनियमितताएं तथा इंडिया हाउस, लंदन में बेसमेंट के नवीनीकरण से संबंधित कार्य की संविदा प्रदान करने और कार्य निष्पादन में घोर अनियमितता बरतना और हेराफेरी करना जिससे संविदाकार को अनुचित लाभ प्राप्त हुए' के बारे में लोक लेखा समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेलवे भूमि के विकास' के बारे में लोक लेखा समिति के 113वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(3) 'पट्टा करार के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व को घाटा' के बारे में लोक लेखा समिति के 141वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. निशिकान्त दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) डाक विभाग (संचार मंत्रालय) से संबंधित 'डाक विभाग - पहल और चुनौतियाँ' के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में केबल टेलीविजन का विनियमन' के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डिजिटल भुगतान और डाटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षोपाय' के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

8. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमाशंकर राजभर ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण" के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2025-2026) (मांग संख्या 10)' के सम्बंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(1) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. डॉ. भोला सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में एक ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. सुश्री कंगना रनौत द्वारा बादल फटने से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राहत और पुनर्वास उपायों के बारे में।

3. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

4. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो में गंगा बांध और सिटी पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

5. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा देश में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री आलोक शर्मा द्वारा भोपाल के 'बड़ा तालाब' को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त करने तथा 'बड़ा तालाब' के संरक्षण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

8. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा ट्रेन संख्या 19005 (सूरत-भुसावल एक्सप्रेस) एवं 11113 (देवलाली-भुसावल) की सेवाओं के बारे में।

9. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी द्वारा असम के कामाख्या मंदिर को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद मुख्यालय में डाक विभाग का एक मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा चित्तौड़गढ़ से उदयपुर और अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री दिलीप शइकीया द्वारा नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन नीति और नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के बारे में।

14. श्री तनुज पुनिया द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अ.जा./अनु.ज.जा. छात्रों को शुल्क में रियायत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

16. श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा मनरेगा के तहत 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के साथ न्यूनतम 150 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

17. डॉ. शशि थरूर द्वारा ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड (बीएटीएल) को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएटीएल) से अलग करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

18. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारी वर्षा के कारण किसानों को हुए उनकी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

19. श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री लालजी वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में ईंट की सोलिंग वाली सड़क को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ में स्थित विरासत स्थल के रूप में आबाद उन घरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में जहां रवींद्रनाथ टैगोर यदा-कदा जाया करते थे ।

22. श्री सेल्वागणपति टी. एम. द्वारा तमिलनाडु में आम उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने और आमों के लिए पीएम-आशा के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा कोनासीमा और आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों में नारियल फार्म उत्पादक संगठनों को संचालित किए जाने और बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा कल्याण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंबरनाथ में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक और भारतीय नौसेना कैंटीन सेवा (आईएनसीएस) के आउटलेट की स्थापना किए जाने के बारे में।

25. श्री अरुण भारती द्वारा बिहार में औद्योगिकीरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री सुधाकर सिंह द्वारा 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' के अंतर्गत बिहार के रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किले के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा आंध्र प्रदेश में कथित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बारे में।

28. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा विमानों के रखरखाव और संचालन से संबंधित सभी सुरक्षा मानदंडों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण वितरण के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

11. पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आगे विशेष चर्चा।

आवंटित समय : 16 घंटे

लिया गया समय : 18 घंटे 41 मिनट

पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आगे विशेष चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. [@] श्री अमित शाह
2. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
3. श्री अखिलेश यादव
4. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा

[@] गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

5. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. सुश्री सयानी घोष
7. डॉ. निशिकान्त दुबे
8. श्री राजा ए.
9. श्री ई टी मोहम्मद बशीर
10. श्री अब्दुल रशीद शेख
11. श्री के.सी. वेणुगोपाल
12. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
13. श्रीमती डिम्पल यादव
14. श्री सुब्बारायण के.
15. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
16. श्री विजय कुमार हाँसदाक
17. [$]श्रीमती अनुप्रिया पटेल
18. श्री राहुल गांधी
19. डॉ. संबित पात्रा
20. डॉ. संजय जायसवाल

श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 07.56 बजे

(लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[$] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 30 जुलाई, 2025 / 8 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 76

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 146 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 147 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:-

सोलहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 28	छठा सत्र, 2015
2.	विवरण संख्या 28	आठवां सत्र, 2016
3.	विवरण संख्या 26	दसवां सत्र, 2016
4.	विवरण संख्या 27	ग्यारहवां सत्र, 2017
5.	विवरण संख्या 21	तेरहवां सत्र, 2017-18
6.	विवरण संख्या 20	सोलहवां सत्र, 2018-19

सत्रहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या 26	प्रथम सत्र, 2019
8.	विवरण संख्या 20	दूसरा सत्र, 2019
9.	विवरण संख्या 20	तीसरा सत्र, 2020
10.	विवरण संख्या 21	पांचवां सत्र, 2021
11.	विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 2021
12.	विवरण संख्या 14	सातवां सत्र, 2021
13.	विवरण संख्या 14	आठवां सत्र, 2022
14.	विवरण संख्या 12	नौवां सत्र, 2022
15.	विवरण संख्या 10	दसवां सत्र, 2022
16.	विवरण संख्या 10	ग्यारहवां सत्र, 2023
17.	विवरण संख्या 8	बारहवां सत्र, 2023
18.	विवरण संख्या 8	चौदहवां सत्र, 2023
19.	विवरण संख्या 6	पंद्रहवां सत्र, 2024

अठारहवीं लोक सभा

20.	विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 2024
21.	विवरण संख्या 4	तीसरा सत्र, 2024
22.	विवरण संख्या 2	चौथा सत्र, 2025

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) आधार (नामांकन और अद्यतन) प्रथम संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचक्यू-16024/4/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-5735) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52(4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) आरआईटीईएस लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) रेल विकास निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.2354(अ), जो दिनांक 27 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को टिकट-जांच कर्मियों, कर्मी दल के सदस्यों और यात्रियों की पहचान स्थापित करने के लिए, हां/नहीं या ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए, नियत ड्यूटी स्टेशन पर, यथास्थिति, उनकी ड्यूटी शुरू होने से पहले और पूरी होने पर या उनकी मॉनीटरिंग के लिए, स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात करना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अधिसूचना संख्या एफ.सं.2023/ईएंडआर/1(1)/2(पीटी) जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 01.06.2025 से उत्तर रेलवे के अंतर्गत जम्मू तवी में मुख्यालय वाले एक नए मंडल के गठन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू करने) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.451(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1459(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4.   महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों की कार्यप्रणाली' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2025-26) का पहला प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं' विषय पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2025-26) का दूसरा प्रतिवेदन।

5.   मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(1) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(पाँच) शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

6. संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा से श्री पी. विल्सन की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुई रिक्ति

में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 2.06 बजे**

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के नेपानगर में नेपा लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में।

3. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरयू रिवर फ्रंट के निर्माण के बारे में।

4. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले खेल प्रमाणपत्रों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाणपत्रों के समकक्ष मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री अरुण गोविल द्वारा गौ अभ्यारण्यों की स्थापना के बारे में।

---

* अपराहन 12.08 से अपराहन 04.32 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

6. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा में मनरेगा के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रायवाला-भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में।

8. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले में सिंचाई और नौपरिवहन के उद्देश्य से नहरों और उप-नहरों के पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री इटेला राजेंदर द्वारा तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव को रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा उसे निकटतम जंक्शनों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा बेंगलुरु और अन्य शहरों में आधुनिक ट्राम प्रणाली लागू करने के लिए एक व्यापक नीतिगत अवसंरचना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा तेलंगाना में गडवाल रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी भूमि का उपयोग बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने हेतु किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की संरक्षा और सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में आवारा कुत्तों के कारण बढ़ती रेबीज से होने वाली मौतों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक वाले टीकों और चिकित्सकीय निर्देशित प्रोटोकॉल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल जिलों में किसानों की आत्महत्या के बारे में।

15. श्री वरूण चौधरी द्वारा हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चलने वाली/वहां से गुजरने वाली ट्रेनों की बहाली की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए घर ले जाने वाले राशन के लिए अनिवार्य चेहरा पहचान प्रणाली को वापस लेने तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा प्रयागराज-लखनऊ राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर द्वारा कोविड अवधि के दौरान रेलवे अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने वाले अनुबंधित पैरा-मेडिकल कर्मचारियों को पुनः नियोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

19. श्री मलैयारासन डी. द्वारा तमिलनाडु के उलुंदुरपेट्टई रेलवे स्टेशन पर पल्लवन एक्सप्रेस (संख्या 12606) और वैगई एक्सप्रेस (संख्या 12636) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. तिरु डी. एम. कथीर आनंद द्वारा तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित पुस्तक 'तिरुवल्लुवर' को देश की राष्ट्रीय निधि पुस्तक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री सुनील कुमार द्वारा सम्राट अशोक के जन्मदिवस को राष्ट्रीय पर्व तथा राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री एम पी अब्दुस्समद समदानी द्वारा असम में निष्कासन अभियान से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

24. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दमन एवं दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में।

25. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा गुजरात के अहमदाबाद पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुबेर नगर के पास रेलवे फुट ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 4.32 बजे

8. सांविधिक संकल्प- स्वीकृत

श्री नित्यानन्द राय ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

निम्नलिखित सदस्य संकल्प पर बोले :-

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. श्री लालजी वर्मा
3. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार#

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 04.56 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 05.30 बजे पुन: समवेत हुई)

सायं 5.30 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर उन्होंने अपना भाषण पुनः प्रारंभ किया।

4. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम

5. श्री सी एन अन्नादुरई

6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

श्री नित्यानन्द राय ने सांविधिक संकल्प का उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सायं 06.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 / 9 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 77

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. [*]अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 30 जुलाई, 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (एनआईएसएआर) उपग्रह के सफल प्रक्षेपण का उल्लेख किया।

2. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किए जाने की घोषणा की।

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 और 162 लिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 02.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें तथा निबंधन) नियम, 2025, जो दिनांक 5 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.1684(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.2521(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.2792(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.1022(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एल-1/2064/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2/2(2)/2011-स्था./-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/ओएस44(59)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और निबंधन) (पहला संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/268/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच हेतु) विनियम, 2024, जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. जेईआरसी-35/2025 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए संरचना) विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-36/2025 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भोपाल का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.372(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.3706(अ) और दिनांक 19 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1848 (अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, ठाणे महानगरीय क्षेत्र के संबंध में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना के मेट्रो संरेखण के बारे में जोड़ा गया है।

(तीन) का.आ. 1930 (अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, बैंगलोर महानगर क्षेत्र के संबंध में बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण-3 के मेट्रो संरेखण के बारे में जोड़ा गया है।

(चार) का.आ. 2061(अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2731(अ) तथा दिनांक 29 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3915(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 402(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.टीई-32/2/2023-एनएसडीए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 35 के अंतर्गत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025, जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:**-**

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित ‘कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थानों में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2024-25) के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित

अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 'देश में ग्लेशियर प्रबंधन- हिमनदी झीलों के टूटने के कारण हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ सहित ग्लेशियरों/हिमनद झीलों की निगरानी' पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 334वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 02.04 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा खनन निगम को लौह, बॉक्साइट और क्रोमाइट अयस्क खदानों के अतिरिक्त आवंटन के बारे में ।
2. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में एक व्यापक सौर-अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार किए जाने और एक उन्नत सौर-पैनल रीसाइक्लिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदित्यपुर स्थित ईएसआईसी में मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चियांकी हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू किए जाने और हवाई अड्डे के विस्तार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री आशीष दुबे द्वारा जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरगी बांध से मंडला तक क्रूज शिप सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा देश के प्रत्येक जिले में गौशाला की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बदरपुर में अब बंद हो चुके एनटीपीसी पावर हाउस द्वारा अधिग्रहित भूमि के उपयोग के बारे में।
9. श्री परिमल शुक्लबैद्य द्वारा सिलचर और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत निधि और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिन्जिली में एक कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने के बारे में।
13. श्री राहुल कस्वां द्वारा नकली उर्वरकों और बीजों के उत्पादन तथा बिक्री में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा महाराष्ट्र के काम्पटी छावनी बोर्ड का नगर निगम में विलय के बारे में।

15. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा मुसी नदी पुनरुद्धार परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम के बारे में।
17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा केरल में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्कूलों को बंद किए जाने के बारे में।
19. श्री सेल्वम जी. द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक समर्पित हथकरघा क्लस्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार में नये राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के निर्माण के बारे मे।
21. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे द्वारा महाराष्ट्र में पुणे-नासिक सेमी-हाई स्पीड रेलवे परियोजना के पुनर्संरेखण के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा कोविड काल में अपने पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री के. राधाकृष्णन द्वारा देश में प्रतिबंधित कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता के बारे में।
24. डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा यूपीएससी मानदंडों के अनुरूप स्नातक स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 02.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 04.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 04.00 बजे

10. मंत्री द्वारा स्वमेव वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) ने 'भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 04.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 / 10 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 78

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 02.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) अन्तर्देशीय जलयान (यात्री और कर्मीदल सुविधा) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) अन्तर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) अन्तर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) अन्तर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) सेंटर फॉर लैंड वारफेअर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लैंड वारफेअर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रक्षा संकर्म नियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.4(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 की धारा 15 के अंतर्गत अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025, जो दिनांक 27 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.10(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड-19 का शमन' विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

4. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने दिनांक 4 अगस्त, 2025 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 02.05 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं में सुधार के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बारैया द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिम्मतनगर से गुजरने वाले एनएच-48 को बेहतर किए जाने के बारे में।
3. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री गोडम नागेश द्वारा तेलंगाना के आदिलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में।
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में शहरी और अर्ध-शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक में उर्वरकों की कमी के बारे में।
8. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली में विद्युत वितरण कम्पनियों के पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं दिए जाने के बारे में।
9. श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय या पीएम श्री विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण अस्पताल के माध्यम से पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के संविदा कामगारों सहित सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी द्वारा कर्नाटक के कुद्रेमुख टाउनशिप में राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबंधन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस रेलवे स्टेशन पर 'बांदीकुई-बरेली पैसेंजर' और 'देहरादून-सुबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस' का ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. किरसान नामदेव द्वारा कौशल भारत मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

14. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा महाराष्ट्र में लातूर रोड कुर्दुवाड़ी रेल लाइन परियोजना के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री हैबी ईडन द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में आवारा कुत्तों की समस्या पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री शफी परम्बिल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरल को गैर-राज सहायता वाले केरोसीन की आपूर्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान में डाबला-खेतड़ी-सिंघाना-चिरावा मार्ग पर नई रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री ज़िया उर रहमान द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बंद किए गए विद्यालयों को फिर से खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा आंध्र प्रदेश के बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित मत्स्यपालन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के मुलुंड, भांडुप और विक्रोली क्षेत्रों में सॉल्ट-पैन भूमि पर प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रस्तावित परियोजना के कारण संभावित पारिस्थितिकीय क्षति के बारे में।

21. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी स्थित एम्स में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में कोयला खदान विस्फोटों के कारण भूमि धंसने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में पुणे-कोल्हापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का बनाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 04 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 अगस्त, 2025 / 13 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 79

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 02.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सर्राफा बाजार) विनियम, 2025, जोदिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनआईसीसीएल/नवीकरण/2025-26, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2024/012 जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें दिनांक 18 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2024/012 का शुद्धिपत्र शामिल है।

(चार) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनएसई-आईएफएससी/नवीकरण/2025-26 जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई, 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/002 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (केवाईसी पंजीकरण एजेंसी) विनियम, 2025, जोदिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/004 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/003 में प्रकाशित हुए थे।

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.: एएक्स1/एसटी/ओएसआर/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीओ:एचसीएम:आईआरपी:2025-26:51 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/25-26 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एवं सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/एचआरडी/ओएसआर/2025-26/1 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2025-26/25 में प्रकाशित हुए थे।

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (सिक्किम राज्यको राज्य का दर्जा दिए जाने के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (पंथ रतन स्वर्गीय श्री गुरचरण सिंह तोहरा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (श्री रामानाश्रमम शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिक्का निर्माण (अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सिक्का निर्माण (आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सिक्का निर्माण (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिक्का निर्माण (प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिक्का निर्माण (मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जोदिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सिक्का निर्माण (राजभाषा विभाग के स्वर्णजयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दबावग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि, मुंबई पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.470(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथाजिसके द्वारादिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा जो व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू

रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों, जिसमें 407 और 410 के अलावा सभी मिश्रणों को बाहर रखा गया है,पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने के बारे में है" तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.479(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम समीक्षा निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "एयरलाइन" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.477(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थेतथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 481(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थेतथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र मेंअधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) निर्यात प्रविष्टि (लिखत आधारित योजना के संबंध में निर्यातोपरांत रूपांतरण) विनियम 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1608(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयातित माल (ट्रांसशिपमेंट की शर्तें) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन), विनियम, 2025, जो दिनांक 31 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1210(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1517(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) डाक आयात विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1516(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1607(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.1668(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथाजो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैपऔर सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ.1726(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.1841(अ) जो दिनांक 23 अप्रैल,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.1947(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.2198(अ) जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2438(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.2557(अ) जो दिनांक 11 जून,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथाजो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैपऔर सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2632(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ.2901(अ) जो दिनांक 30 जून,2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथाजो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)/(6)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 28 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या एफईएमए10(आर)/(6)/2024-आरबी में प्रकाशित हुआ था।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.129(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना के स्तंभ 3 में उल्लिखित तारीख को उक्त अधिसूचना के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) का.आ.2954(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.3268(अ) जो दिनांक 17 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(11) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधी नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/05/1/0025/2017-एचआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025 जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/01/0001/2023-विधिक में प्रकाशित हुए थे।

(14) डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुंबई के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाताके बारे में01.01.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि कापरिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (3)(ख)के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की अर्धवार्षिक समीक्षा के विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (संशोधन) योजना, 2025 जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) का.आ.1721(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र श्री लंकामल्लेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.1567(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.17(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.5348(अ) जो दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से

संवेदनशील क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रोलापड्डू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पाँच) का.आ.1457(अ) जो दिनांक 26 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.5510(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.5383(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र,गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.2124(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, कुशेश्वरस्थान वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.1334(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.1111(अ) जो दिनांक 10 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वाराछत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 8.3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.1797(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारादिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.1375(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.185(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.1570(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.2413(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौदह) का.आ.1575(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.1506(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.1507(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1653(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.1611(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.1559(अ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1865(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.2136(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में हॉलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.2125(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.191(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3100(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.1612(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.1174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1485(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ.1640(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2149(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.148(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3308(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छब्बीस) का.आ.704(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3516(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सत्ताईस) का.आ.5534(अ) जो दिनांक 23 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14, फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 436(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अट्ठाईस) का.आ.1795(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2404(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उनतीस) का.आ.2356(अ) जो दिनांक 27 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 किलोमीटर से 3.26 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.1722(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1176(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इकतीस) का.आ. 1990(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1701(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बत्तीस) का.आ.1173(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तैंतीस) का.आ.1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौंतीस) का.आ.556(अ) जो दिनांक 31 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पैंतीस) का.आ.491(अ) जो दिनांक 27 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 5494(अ) जो दिनांक 19 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2148(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सैंतीस) का.आ. 1122(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 855(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2733(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ. 1942(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2993(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ.115(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3084(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का.आ.5226(अ) जो दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ.2485(अ) जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 4.30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें भूकर सर्वेक्षण संख्या को न्यूनतम इकाई के रूप में रखा गया है।

(तैंतालीस) का.आ.597(अ) जो दिनांक 3 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4031(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का.आ.288(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4027(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पैंतालीस) का.आ.5468(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2811(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ.1674(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ.1235(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2605(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ.1515(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ.5471(अ) जो दिनांक 18 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचास) का.आ.1357(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 837(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का.आ. 1594(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1603(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ.1593(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1565(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का.आ.324(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1752(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ.1335(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का.आ.5441(अ) जो दिनांक 16 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ.5293(अ) जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतावन) का.आ.5397(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3030(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ.1595(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 1932(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1816(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ.1794(अ) जो दिनांक 17अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इकसठ) का.आ.5323(अ) जो दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.10 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बासठ) का.आ. 150(अ) जो दिनांक 9जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016की अधिसूचना संख्या का.आ. 2480(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तिरसठ) का.आ. 1337(अ) जो दिनांक 20मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2016की अधिसूचना संख्या का.आ. 2277(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौंसठ) का.आ. 1092(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016की अधिसूचना संख्या का.आ. 3597(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पैंसठ) का.आ. 1816(अ) जो दिनांक 22अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 350(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छियासठ) का.आ. 1476(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 839(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सड़सठ) का.आ. 5377(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2024के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 1568(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अड़सठ) का.आ. 1238(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 1173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उनहत्तर) का.आ. 1913(अ) जो दिनांक 28अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020की अधिसूचना संख्या का.आ. 4047(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सत्तर) का.आ.875(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(इकहत्तर) का.आ. 239(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बहत्तर) का.आ. 4530(अ) जो दिनांक 15अक्तूबर, 2024के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2167(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तिहत्तर) का.आ. 316(अ) जो दिनांक 17जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2168(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौहत्तर) का.आ. 621(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 4246(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छिहत्तर) का.आ. 445(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 445(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सतहत्तर) का.आ. 4245(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अटहत्तर) का.आ. 1333(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2171(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उनासी) का.आ. 1380(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का.आ. 100(अ) जो दिनांक 6जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014की अधिसूचना संख्या का.आ. 2173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इक्यासी) का.आ. 443 (अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016की अधिसूचना संख्या का.आ. 3596(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बयासी) का.आ. 4702(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 05 मई, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 1432(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तिरासी) का.आ. 2681 (अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017की अधिसूचना संख्या का.आ. 1698 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौरासी) का.आ. 4548(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पचासी) का.आ. 290(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3859(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छियासी) का.आ. 2028(अ) जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1566(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सतासी) का.आ. 2354(अ) जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2262(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अठासी) का.आ. 2143(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(नवासी) का.आ.5132(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(नब्बे) का.आ. 3013(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का.आ.1336(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 840(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बानवे) का.आ.2126(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2125(अ) द्वारा भारत सरकार के आदेश को रद्द किया गया है।

(तिरानवे) का.आ.1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (नब्बे)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण संरक्षण (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन) नियम, 2025, जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.98(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 24 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.958(अ) में प्रकाशित हुए।

(तीन) का.आ.5210(अ), जो दिनांक 3 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन), संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2025, जोदिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2025,जो दिनांक 3 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 26 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कछार के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कछार के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानपलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानपलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानपलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी123 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी124 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी125 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी126 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी127 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी128 में प्रकाशित हुए थे।

4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री देवुसिंह चौहान ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई' संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई' संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(4) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौंवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(6) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

6. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने 'नई सेवा'/' सेवा का नया साधन' - शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी पायलट मिशन -दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में पुरातात्विक महत्ववाले बौद्ध स्थलों को संरक्षित किए जाने और जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ. भोला सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर या अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. डॉ. डी पुरंदेश्वरी द्वारा क्षेत्र विशिष्ट कृषि ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख कृषि और वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के बारे में।

5. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के संरक्षण और विकास की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री धर्मबीर सिंह द्वारा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा देश में आईटी क्षेत्र की उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए उच्च मूल्य वाली तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिलों में मोबाइल दूरसंचार सेवाओं में सुधार किएजानेकी आवश्यकता के बारे में।

9. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को निकटवर्ती स्थानों से जोड़ने के लिए नमो भारत रैपिड रेल प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में आनंदनगर-सिद्धार्थनगर-बढ़नी-गोंडा होते हुए गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए नई ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री खगेन मुर्मु द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा हवाई अड्डे का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री दिलीप शइकीया द्वारा देश में युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी नीति की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री पी. पी. चौधरी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पीएचसी डिस्पेंसरी और अमृत फार्मेसियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित ग्रामीण सहायक प्रौद्योगिकी योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ में कांजीकोड रेलवे स्टेशन के उन्नयन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया सामग्री के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले में स्थित सस्थामकोट्टा झील को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना और सरकार की अन्य पुनरुद्धार योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री भजन लाल जाटव द्वारा राजस्थान में धौलपुर-सरमथुरा रेल लाइन परियोजना के दूसरे चरण के तहत सरमथुरा-गंगापुर बरास्ता करौली मार्ग पर रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. कुमारी सुधा आर. द्वारा सोने और चांदी की दैनिक कीमतें पारदर्शी तरीके से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के लिए उर्वरक की अनुपलब्धता के बारे में।

20. श्री मोहिब्बुल्लाह द्वारा हज अधिनियम, 2002 के अनुसार हज समिति गठित किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री कीर्ति आज़ाद झा द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित आधार सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री सेल्वम जी. द्वारा कांचीपुरम साड़ियों के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले को प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए नियमित केंद्र के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा या मधेपुरा में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा उर्वरक विक्रेताओं/कंपनियों द्वारा किसानों को उर्वरकों के साथ अन्य गैर-आवश्यक उत्पाद बेचने की प्रथा के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा महाराष्ट्र में भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन को स्थानीय ट्रेन नेटवर्क से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा झज्जर में एम्स के उप-केन्द्र की तर्ज पर बागपत में भी एम्स का उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री तटकरे सुनील दत्तात्रेय द्वारा चीन से घटिया सीमलेस पाइपों और ट्यूबों के आयात की जांच करवाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

9. **सांविधिक संकल्प- स्वीकृत**

श्री पंकज चौधरी* ने श्रीमती निर्मला सीतारमण# की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया**:-**

"कि यह सभा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम**, 1975** की धारा **8** के अनुसरण में**,** एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या **27/2025-**सीमाशुल्क दिनांक **30** अप्रैल**, 2025 [**सा.का.नि.**277(**अ**),** दिनांक **30** अप्रैल**, 2025]** का अनुमोदन करती है**,** जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम**, 1975** की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम**, 2025** के द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम**, 1975** की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के साथ विशिष्ट प्रविष्टियों को संरेखित किया जा सके।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.14 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

* वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 80

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री शिबु सोरेन (सदस्य, सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा); श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (सदस्य आठवीं और तेरहवीं लोक सभा); तथा श्री राम रति बिन्द (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा) के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 222 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.25 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.2040(अ) जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3127(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2346(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पाँचवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 10 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2539(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1236(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोतर प्रयोग हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन हेतु 55वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(दो) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'डाक विभाग में सार्वजनिक राशि का दुर्विनियोजन' विषय पर लोक लेखा समिति के 84वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'सागर प्रहरी बल की स्थापना और संचालन' विषय पर लोक लेखा समिति के 86वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना' विषय पर लोक लेखा समिति के 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'दिल्ली पुलिस में जनशक्ति और लॉजिस्टिक का प्रबंधन' विषय पर लोक लेखा समिति के 140वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

I. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

II. ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

III. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा राशि के विनियोजन में कथित अनियमितताओं के बारे में।
2. डॉ. के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक में बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अरुण गोविल द्वारा देश में प्रधानमंत्री पोषण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री अतुल गर्ग द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रेलवे कंटेनर टर्मिनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री राजकुमार चाहर द्वारा उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुरी सीकरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. सी.एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में पुदीमदका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क औरअवसंरचना निधि के अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में आलू को एमएसपी के अंतर्गत लाने या किसानों के लिए आलू का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा शैक्षिक और सामुदायिक केंद्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू किए जाने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल और वन संरक्षण की एक पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में शीशो रेलवे स्टेशन में मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स की प्रस्तावित स्थापना के बारे में।

14. श्री मणिक्कम टैगोर बी द्वारा तमिलनाडु में शिवकारी रेलवे स्टेशन को आत्मनिर्भर भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री शफी परम्बिल द्वारा वडकारा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर निर्माण कार्य वैज्ञानिक 66 और तकनीकी रूप से सुदृढ़तरीके से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. मोहम्मद रकिबुल हुसैन द्वारा असम के विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने की दर को कम किए जाने के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा नागालैंड में दीनापुर - तिजित रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान की शुल्क संरचना की समीक्षा किए जाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को शुल्क में रियायत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री छोटेलाल द्वारा सीएसआर निधि के उपयोग के लिए स्थानीय संसद सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज जिलों को जोड़ने वाली सड़क की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए संसद सदस्य कोटा सुविधा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री मलैयारासन डी. द्वारा दिव्यांगजनों का भत्ता 300/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रुपये किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुंबई में आरे कॉलोनी और दोंडोशी में आरक्षित वन क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को घर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में जलीय निर्यात पर टैरिफ लगाए जाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री अमरा राम द्वारा विद्युत क्षेत्र के कथित निजीकरण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा कैट के निर्णय के अनुसार दमन में पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याताओं को 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रीनफील्ड राजमार्ग 744 के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

8. सरकारी विधेयक - पारित

गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024.

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 56 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसम्बर, 2024 को विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 2.15 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 06 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 6 अगस्त, 2025 / 15 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 81

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण जापान में हुए परमाणु नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 242 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1327(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन, "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.1328(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(तीन) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ.1764(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स हिंदमेटल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(पांच) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.255(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 12 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का.आ.2744(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.2745(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.284(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.3326(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.285(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.3327(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.4038(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1806(अ) जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.4819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.311(अ) में प्रकाशित हुए थे।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 108ख की उप-धारा (3) के अंतर्गत एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025, जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसवराज बोम्मई ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम - ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रयोज्यता एवं लाभ, ईएसआई अस्पतालों का कार्यकरण तथा कायिक निधि का प्रबंधन' के बारे में समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'जूट उद्योग का विकास और संवर्धन' के बारे में समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) परियोजना का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्‌वारा वक्तव्य

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र दुबे) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

7. मणिपुर बजट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्‌वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. डॉ. जयंत कुमार राय द्‌वारा कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में प्रोटॉनबीम थेरेपी यूनिट की स्थापना के बारे में।
2. श्री विजय कुमार दूबे द्‌वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री रवि किशन द्‌वारा भोजपुरी भाषा के कवि, लोक कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री दुष्यंत सिंह द्‌वारा राजस्थान में झालावाड़ और बारां सहित आकांक्षी और पिछड़े जिलों में सीएसआर निधियों का समान वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा हैदराबाद के मालकपेट रेलवे स्टेशन पर हंड्री इंटरसिटी एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

6. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-53 (हजीरा-धुलिया) पर अंडरपास का निर्माण किए जाने आवश्यकता के बारे में।

7. श्रीमती मालविका देवी द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अधिक संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा गुजरात के आणंद जिले में वासद पुल के नीचे सर्विस रोड को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।

10. श्री आशीष दुबे द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड में चिरमिरी रेलवे लाइन परियोजना पर कार्य की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो जिले में प्रभातपुर कोयला ब्लॉक से कोयले का उत्पादन किए जाने के बारे में।

13. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और अन्य पश्चिमी घाट जिलों को पहाड़ी क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने और तदनुसार सड़क संपर्क के लिए पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत मानदंडों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा देश के कस्बों और शहरों में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शहर सुधार नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जल जीवन योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री किशोरी लाल द्वारा राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क को समाप्त किए जाने के निर्णय के मद्देनजर देश में संचारी रोगों की निगरानी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थोडुपुझा में नेहरू युवा केंद्र को पुन: खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री राहुल कस्वां द्वारा हाल ही में आयोजित एसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बारे में।

19. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान के झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' के अंतर्गत इंडोर स्टेडियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सड़क को चौड़ा किए जाने के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण के बारे में।

21. श्री सनातन पांडेय द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए एक नया कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्रीमती जून मालिया द्वारा पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री खलीलुर रहमान द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के मीठीपुर पंचायत के षष्ठीतला गांव में बीएसएफ जवानों द्वारा नागरिकों को परेशान किए जाने की कथित घटनाओं के बारे में।

24. तिरू थंगा तमिलसेल्वन द्वारा तमिलनाडु में कीलाडी उत्खनन स्थल को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु में तिण्डिवनम-तिरुवन्नामलाई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा एमपीएलएडी निधि के आवंटन में वृद्धि किए जाने और एमपीएलएडी परियोजनाओं को जीएसटी से छूट दिए जाने के बारे में।

27. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज में थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन को विकसित और आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा तिरुपति, आंध्र प्रदेश में सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों को कार्यशील बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री राजा राम सिंह द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में।

30. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में रेलवे सेवाओं के बारे में।

अपराहन 2.06 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024.

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 20 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. कैप्टन बृजेश चौटा
2. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 स्वीकृत हुआ।
खंड 6 स्वीकृत हुआ।
खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।
खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।
खंड 11 से 14 स्वीकृत हुए।
खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।
खंड 18 और 19 स्वीकृत हुए।
खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 38 से 44 स्वीकृत हुए।

खंड 45 से 47 स्वीकृत हुए।

खंड 48 से 70 स्वीकृत हुए।

खंड 71 से 88 स्वीकृत हुए।

खंड 89 से 94 स्वीकृत हुए।

खंड 95 से 262 स्वीकृत हुए।

खंड 263 से 323 स्वीकृत हुए।

खंड 324 स्वीकृत हुआ।

खंड 325, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 2.26 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 / 16 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 82

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 262 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 179 के अंतर्गत विद्युत (पारेषण प्रणाली योजना, विकास एवं अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.414(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025, जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2015(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का.आ. 2489(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 18 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1348(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548 डीजी के डिजाइन किमी. 00.000 से किमी. 24.037 तक न्हावारा-चौफुला सेक्शन के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.1349(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-150ए के डिजाइन किमी. 112.750 से किमी. 148.720 तक लिंगासुगुर-मुदबल और मास्की शहर सीमा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.1365(अ) जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-216 (पुराना एनएच-214) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 46.725 (मौजूदा किमी. 000.000 से किमी. 41.161) तक काठीपुडी से गुरजनापल्ली (काकीनाडा बाईपास के अंत) के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ.1491(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-24) के किमी. 262.000 से किमी. 419.590 (मौजूदा किमी. 262.000 से किमी. 413.200) तक बरेली-सीतापुर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ.1492(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-41 के किमी. 0.000 से किमी. 71.400 तक गांधीधाम (कांडला) से मुंद्रा पोर्ट खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ.1493(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334 और एनएच-34) खंड के किमी. 166.000 से किमी. 209.120 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ.1494(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334) खंड के किमी. 130.560 से किमी. 166.000 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ.1495(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के किमी. 0.000 से किमी. 48.580 तक रायपुर से सिमगा खंड की चार लेन की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ.1496(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 634.000 से किमी. 700.544 तक रणस्थलम से हनुमंतवाका, विशाखापत्तनम खंड परियोजना (इनविट) (कुल परियोजना लंबाई 66.544 किमी.) के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ.1497(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-04 के किमी. 134.980 से किमी. 219.687 (कुल परियोजना लंबाई 84.797) तक तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - नलगामपल्ली - आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1498(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 682.980 से डिजाइन किमी. 731.585 तक छह लेन की आनंदपुरम-पेंडुर्थी-अंकापल्ली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ.1499(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 580.671 से किमी. 634.861 तक छह लेन की नरसन्नापेटा-रणस्थलम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ.1500(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-200 (नया एनएच-130 और 49) के किमी. 48.580 से किमी. 126.525 तक चार लेन की सिमगा बिलासपुर खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ.1501(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 15.320 से डिजाइन किमी. 85.204 तक चार लेन की गुंडुगोलानु-देवरापल्ली-कोव्वुरु परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.1502(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 140 के किमी. 0.000 से किमी. 61.128 तक (कुल परियोजना लंबाई 61.128 किमी.) चित्तूर-मल्लावरम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.1621(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 60.630 से किमी. 99.660 तक सिल्लोड-फरदापुर खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.1622(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 99.660 से किमी. 147.380 तक फरदापुर-जलगांव खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ.1647(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-3 (पुराना एनएच-1) के किमी. 387.100 से किमी. 456.00 तक जालंधर से अमृतसर खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.1677(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के डिजाइन किमी. 153.000 से किमी. 193.350 तक बीजापुर-हुबली खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ.1678(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-157 के डिजाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 86.330 तक और किमी. 86.615 से किमी. 119.000 तक चारिछक-भंजनगर खंड के पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.1679(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 0.000 से किमी. 21.000, किमी. 26.300 से 47.500 और किमी. 47.500 से 54.500 तक औरंगाबाद-सिलोद खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ.1680(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752ई के किमी.0.000 से किमी. 55.937 तक पैठण-शिरूर खंड डिजाइन चेनेज के पेव्ड सोल्डर खंड वाले दो लेन के उपयोग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.1681(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-927ए के डिजाइन किमी. 208.550 से डिजाइन किमी. 256.700 (मौजूदा किमी. 207.700 से मौजूदा किमी. 275.000) तक सागवाड़ा-गढ़ी-परतापुर-वजवाना-तलवाड़ा-बांसवाड़ा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.1888(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-50 के किमी. 0.000 से किमी. 65.952 तक डिजाइन चेनेज से नांदेड़ से जलकोट खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ.1889(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161ए के किमी. 0.000 से किमी. 33.000 तक डिजाइन चेनेज से भोकर से सरसम खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.1996(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कटरा-पीलीभीत खंड के किमी. 114.000 से किमी. 183.380 तक (एनएच-730सी, एनएच-730बी और एनएच-731के पर 114.000 किमी. दूरी से शुरू होकर किमी. 183.380 पर समाप्त) पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.1997(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-751 के डिजाइन किमी. 136.000 से किमी. 169.308 (मौजूदा किमी. 136.025 से किमी. 169.328) तक अधेलाई गांव से नारी जंक्शन खंड की चार या उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.2004(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752डी के डिजाइन चैनेज 26.900 से चैनेज 96.000 तक उज्जैन-बदनावर खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.2005(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-88 (नया एनएच-303, 503) के डिजाइन किमी. 175.270 से किमी. 193.400 तक एनएच खंड, भांगबार (रानीताल के पास) से कांगड़ा बाईपास को एनएच-154 के इंटरसेक्शन तक चार या उसके अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ.2053(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-200) के डिजाइन चेनेज किमी. 269.300 से किमी. 325.900 (मौजूदा चेनेज किमी. 269.300 से किमी. 328.200 तक) तक झारसुगुड़ा-भोजपुर खंड के पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2054(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 तक के डिजाइन किमी. 202.050 से किमी.

244.813 तक (वर्तमान किमी. 202.050 से किमी. 244.930 तक) (लंबाई 42.763 किमी.) मुलाकालाचेरुवु से मदनपल्ले खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2134(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-548बी के विजयपुरा-संकेश्वर खंड के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 79.700 तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2135(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-8 के किमी. 0.000 से किमी. 84.709 (सरदार पटेल रिंग रोड से अधेलाई गांव तक) खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ.2147(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-341 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज तक एयरपोर्ट जंक्शन, किमी. 0.000 से किमी. 65.478 (किमी. 54.680 से किमी. 60.620 के बीच के भाग को छोड़कर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-341 एनएच-41 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज एयरपोट जंक्शन तक के चार या अधिक लेन खंड वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ.2236(अ) जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 के किमी. 0.000 से किमी. 228.748 (0.00 किमी. से शुरू होकर चैम्बर 228.748 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 228.748 किमी.) तक के खंड के उपयोग हेतु परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.2213(अ) जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा (एनएच-130सीडी) के तहत झांकी, सरगी, बसनवाही, मारंग सीपुरी, धनारा, हातिबेना, बदाकुमारी, कार्की, कलियागुरा, बाउंसागुआर, बाराजा, कंदिली, अलुरु, जक्कुवा, कोरलम कांतकापल्ले और सब्बावरम से गुजरने वाली झांकी से सब्बावरम (चैनल 0.000 से चैनल 464.662 तक) की छह लेन की परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ.2363(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

गोवा राज्य में एनएच-166एस के चैनेज किमी. 0.00 से किमी. 6.58 तक, एनएच-66 से मोपा विमानपत्तन खंड तक लिंक रोड की चार लेन या उससे अधिक की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ.2364(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के किमी. 229.070 से 260.800 तक पेव्ड शोल्डर सहित हरदोई जिले के अंत से लखनऊ तक 4-लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ.2366(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-752आई के किमी. 0.000 से किमी. 48.000 तक जिंतूर से शिरद शाहपुर डिजाइन चेनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चालीस) का.आ.2382(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161ए के किमी. 33.000 से किमी. 90.000 तक डिजाइन चेनेज तक सरसम से कोठारी खंड के पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ.2383(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना एनएच-17) के चैनेज किमी. 475.000 से किमी. 535.600 (किमी. 508.000 से किमी. 513.150 को छोड़कर) तक पतरादेवी से जुआरी ब्रिज पैकेज-3 खंड के चार लेन या उससे अधिक खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.2384(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752आई के किमी. 64.700 से किमी. 103.713 तक हिमायतनगर से फुलसावंगी डिजाइन चेनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ.2490(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतमाला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 55.900 (मौजूदा किमी. 0.000 से किमी. 59.250) तक मदनपल्ले-पिलेरू खंड के चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चवालीस) का.आ.2491(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.000 तक थिरुमंगलम-वडुगापट्टी खंड (एनएच-208 के मौजूदा किमी. 231.600 से एनएच-208 के किमी. 197.000 तक) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 के डिजाइन किमी. 36.000 से किमी. 71.600 तक वडुगापट्टी-थेरकुवंगनल्लूर खंड (एनएच-208 के मौजूदा किमी. 197.000 से एनएच-208 के किमी. 163.000 तक) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ.2559(अ) जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167बी के डिजाइन चैनेज किमी. 58.635 से 99.409 (मौजूदा किमी. 16.200 से 59.114) तक कडप्पा/नेल्लोर सीमा से सीएस पुरम खंड तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छियालीस) का.आ.2684(अ) जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में गोविंदपुर-राजुरा खंड के किमी. 32.910 से किमी. 89.011 तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ.2711 (अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के किमी. 482.000 से किमी. 554.800 (मौजूदा किमी. 476.700 से किमी. 545.150 तक) तक मुद्दनूर होते हुए तड्डीपत्री से जम्मालामदुगु तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ.2712(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनई-7 के बैंगलोर से बेथमंगला खंड के एनई-7 के 0.000 से किमी. 71.000 तक के चार या उससे अधिक लेन वाले खंड (आरंभ बिंदु पर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर इंटरचेंज के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग -207 की ओर 0.700 किमी. पहुंच मार्ग सहित) की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ.2850(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -25 एक्सटेंशन के किमी. 69.910 से किमी. 126.355 तक घागरिया-मुनाबाओ खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचास) का.आ.2851(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -709 एक्सटेंशन के राजगढ़ बाईपास (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 5.400) और पिलानी बाईपास (डिजाइन किमी. 35.840 से किमी. 43.120) सहित किमी. 0.000 से किमी. 57.425 तक पेव्ड शोल्डर खंड के साथ दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ.2852(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 के डिजाइन किमी. 26.500 से किमी. 81.300 तक पल्लदम-कुरुकाठी खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बावन) का.आ.2869(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 115.000 से किमी. 136.700 तक डिजाइन चैनेज से सिरसला से परली खंड के 2/4 लेन और किमी. 137.700 से किमी. 168.100 तक डिजाइन चैनेज से परली से गंगाखेड़ खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरपन) का.आ.2870(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352ए के डिजाइन किमी. 40.601 से किमी. 78.837 तक गोहाना से सोनीपत खंड के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौवन) का.आ.3022(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752आई के किमी. 0.000 से किमी. 64.700 तक अर्धपुर से हिमायतनगर डिजाइन चैनेज के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचपन) का.आ.3023(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में बनौंदी गांव के पास एनएच-72 (नए एनएच-344 और एनएच-7 का हिस्सा) के डिजाइन किमी.-0.800 से किमी. 33.015 तक अंबाला-कालाअंब खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छप्पन) का.आ.3024(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544 के किमी. 144.680 से किमी. 183.010 तक नीलांबुर से वालयार खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता

शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सतावन) का.आ.3206(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 0.000 से किमी. 36.900 तक डिजाइन चेनेज से खारवंडी से राजुरी खंड के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठावन) का.आ.3207(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 167एडी के किमी. 0.000 से किमी. 43.659 तक माचेरला से दाचेपल्ली खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनसठ) का.आ.3208(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-344जी पर डिजाइन किमी. 0.000 (गांव-मविकला के पास दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (चरण-I) के डिजाइन किमी. 31.650 से शुरू होकर) से डिजाइन किमी. 119.700 (गांव-लतीफपुर के पास सहारनपुर बाईपास पर विलय) तक के खंड के उपयोग की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(साठ) का.आ.3254(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 पर वडोदरा-मुंबई खंड के किमी. 936.141 से किमी. 1032.991 (936.141 किमी. से शुरू होकर चैनल 1032.991 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 96.850 किमी.) खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, प्रधान सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा गार्ड (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 6 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2025 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए**:-**

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सेवाओं और वाणिज्यिक एवं आवासीय आवास के आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों जैसे स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 5 जून, 2025 से 11 जून, 2025 तक धर्मशाला, शिमला और चंडीगढ़ के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्री राधा मोहन सिंह ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 16वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य इंजीनियर सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा योजना और विवाहित आवास परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 28वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय

की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कैंटीन भण्डार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 40वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'सशस्त्र बलों में शहीदों की विधवाओं/परिवारों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी उपायों का आकलन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 41वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 43वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(9) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(10) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा योजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(11) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(12) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का पांचवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(13) 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण गोविल ने 'विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगें' पर विदेशी मामलों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट

सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

12. मत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(दो) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों

(2025-2026) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) की ओर से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 'भूजल : एक मूल्यवान किन्तु घटता हुआ संसाधन' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

13. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

14. अध्यादेश के बारे में विवरण

श्रीमती निर्मला सीतारमण* ने मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

* वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

1. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से संबंधित मुद्दे के बारे में।
3. डॉ. आनन्द कुमार द्वारा निजी अस्पतालों द्वारा वेंटिलेटर के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधियों के कथित कुप्रबंधन की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड में भारत माला परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के बारे में।
9. श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी के समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उनके उपचार पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक मेडिकल कॉलेज/सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा 1947 में विभाजन के दौरान शरणार्थी के रूप में दिल्ली आए लोगों को दिए गए भूखंडों और मकानों के पट्टे को नवीनीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम' का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में।
13. श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा पंजाब से आने वाले अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण सतलुज नदी के प्रदूषण की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा देश के सभी भागों में जल जीवन मिशन का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने के मानदंड के रूप में फसल और शिक्षा ऋणों को क्रेडिट स्कोर के दायरे से बाहर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पंजाब के गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर को प्रसाद योजना के तहत विकसित किए जाने और उसका सौन्दर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण के बारे में।

18. डॉ. अमर सिंह द्वारा पंजाब में किसानों से अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित कृषि भूमि का उचित मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री जी. कुमार नायक द्वारा कर्नाटक के रायचूर जिले में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अफीम के किसानों से संबंधित मुद्दों के बारे में।

21. श्री आदित्य यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के विलय के बारे में।

22. श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पोदनूर जंक्शन पर मंगलौर-कोयम्बटूर इंटरसिटी एक्सप्रेस और एर्नाकुलम-कराईकल एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री संजय दिना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में अस्पतालों के निजीकरण के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में।

25. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन गणना सूत्र को संशोधित करके वरिष्ठ नागरिकों को उचित पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री भुमरे संदिपनराव आसाराम द्वारा महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई तक नांदेड़-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशिष्ट स्थानों पर वाहनों की जांच के लिए चौकियाँ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

16. (एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया।

(दो) मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 - पारित

लिया गया समय: 9 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया ।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.12 बजे

17. (एक) वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा; और

(दो) मणिपुर राज्य के लिए वर्ष 2025-26 की अनुदानों की माँगें

कार्य की निम्नलिखित मदों को संयुक्त चर्चा के लिए लिया गया :-

(i) वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा

(ii) मणिपुर राज्य के लिए वर्ष 2025-26 की अनुदानों की माँगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण संयुक्त चर्चा पर बोलीं।

वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हुई।

माँग संख्या 1 से 50 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2025-26 के लिए कार्य-सूची (मणिपुर राज्य) के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

18. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

19. सरकारी विधेयक - पारित

मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.25 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 / 17 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 83

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री सत्यपाल मलिक (सदस्य, नौवीं लोक सभा) के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों से स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों के प्रति पुनः समर्पित होने का आह्वान किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281, 283 और 284 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 285 लिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 282, 285 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एन-पी051(12)/18/2024-पीजीएमईबी-एनएमसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर(पेशेवर आचरण) विनियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-12013/01/2022/एथिक्स में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के तहत स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, विद्यमान पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि एवं मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 जो दिनांक 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू.11022/3/2023-यूजीएमईबी में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या सीडीएन-19012/2/2025-समन्वय-एनएमसी में प्रकाशित हुआ था।

(चार) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर (पेशेवर आचरण) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-12013/01/ 2022/एथिक्स में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) "चिकित्सा शिक्षा मानकों का अनुरक्षण विनियम, 2023" जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-पी016/1/2023-पीजीएमईबी-एनएमसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 जो दिनांक 1 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.सीडीएन-19012/5/2023-समन्वय-एनएमसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023 जो दिनांक 1 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीएन-19012/5/2023-समन्वय-एनएमसी(i) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक और प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 8 मार्च, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.6 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 7 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न उपायों/योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय पर समिति (2024-25) के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत 'भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत पदों और सेवाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का निर्माण और कार्यान्वयन तथा विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर समिति (2024-25) के सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

8. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के कार्यकरण और एनईपी 2020 में शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर बल देने के दृष्टिगत शिक्षकों के प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए की गई पहलों की समीक्षा के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 368वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 329वां प्रतिवेदन।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 330वां प्रतिवेदन।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 387वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 394वां प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 388वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 395वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 389वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 396वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 390वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 397वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 391वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 398वां प्रतिवेदन।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 392वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 399वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 393वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 400वां प्रतिवेदन।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मंजू शर्मा ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) विधि कार्य विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित 'नोटरियों की नियुक्ति' विषय पर समिति के 140वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 152वां प्रतिवेदन।

(2) विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित 'निर्वाचन प्रक्रिया के विशिष्ट पहलू और उनमें सुधार' पर समिति के 132वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 153वां प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) से संबंधित 'भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर समिति के 131वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 154वां प्रतिवेदन।

12. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 18वीं लोक सभा के 5वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा देश में खदानों के रिक्त स्थानों के सतत पुनर्उपयोग के लिए व्यापक नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बरैया द्वारा गुजरात के अरावली जिले में केन्द्रीय विद्यालय का कार्यकरण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री बंटी विवेक साहू द्वारा भुसावल और नागपुर के बीच बरास्ता खंडवा दादाधाम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22111/12) का संचालन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में गढ़वा से पांडुका पुल तक ग्रीनफील्ड चार लेन की सड़क के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली के गांवों के निवासियों को 'स्वामित्व' योजना और 'पीएम उदय' योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में निहित उपबंधों के अनुसार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री रोडमल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोहनपुरा बांध स्थल पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बोट क्लब स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चिचली में कांस्य और पीतल उद्योग को 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना' का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में प्रस्तावित सैन्य स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता के बारे में।

10. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच 162-ई पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा भुज-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12960 और 12966) को दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में

12. डॉ. शशि थरूर द्वारा परिसंकटमय सामान को ले जाने वाले जलयानों की दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थितियों सहित समुद्री मुद्दों के समाधान के लिए एक एकीकृत अवसंरचना की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री गौरव गोगोई द्वारा छठी अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि को निजी कंपनियों को कथित रूप से हस्तांतरित किए जाने के बारे में।

14. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में मुथालापोझी मत्स्य हार्बर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे द्वारा महाराष्ट्र के समाज सुधारक बाबा झूम देव को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा जल जीवन योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के बारे में।

17. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैंसर और हृदय-रोग विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री देवेश शाक्य द्वारा यथार्थवादी जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बस्तियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा कीझाडी उत्खनन रिपोर्ट के प्रकाशन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश के पलानाडु में सभी आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव प्रतीक्षा हॉल स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा राज्य में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ मेले के आयोजन के मद्देनजर महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए बजटीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में ।

23. एडवोकेट चन्द्रशेखर द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

14. सरकारी विधेयक - वापस लिया गया

आयकर विधेयक, 2025, प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

अपराह्न 3.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 11 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 11 अगस्त, 2025 / 20 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 84

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 304 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 302, 303, 305 लिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 302, 303 और 305 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्री; और पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित स्मारक "पुराने किले का द्वार, बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(दो) संरक्षित स्मारक "नादान महल" और "इब्राहिम चिश्ती का मकबरा" के नाम से ज्ञात मकबरा जो नादान महल के बिल्कुल निकट याहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(तीन) संरक्षित स्मारक "दंडेश्वर मंदिर, कोटली और गंधक गुंठ (चंडोक), तहसील भनोली, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखंड" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(चार) संरक्षित स्मारक "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1732 और 1735 के भाग में शामिल सटी भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(पांच) संरक्षित स्मारक "विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर जिसका गर्भगृह पूरी तरह से गायब हो गया है किन्तु मंडप के अवशेष और पुजारी का घर बचा हुआ

है जो कि मंदिर संख्या - 238, रामनगर, तहसील - मऊ, जिला - चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के निकट है" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(छह) संरक्षित स्मारक "मदनमोहन (मंदिर), बिष्णुपुर, जिला- बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सात) संरक्षित स्मारक "टाउन हॉल उपनाम गांधी भवन, शिवपुरी, जिला - शिवपुरी, मध्य प्रदेश" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(आठ) संरक्षित स्मारक "हरियाणा के सोनीपत तहसील में उत्तर-पश्चिमी रेलवे के निकट स्थित पुरानी मुगल कोस मीनारें" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(नौ) संरक्षित स्मारक "प्राचीन अवशेष, शैल उत्कीर्णन और शैव मंदिर, भोजपुर, जिला रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(दस) संरक्षित स्मारक "जोर बंगला (मंदिर), बिष्णुपुर, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(ग्यारह) संरक्षित स्मारक "बिष्णुपुर, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल में दलमादल तोप और वह प्लैटफॉर्म जिस पर इसे स्थापित किया गया है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(बारह) संरक्षित स्मारक "राशमंचा, बिष्णुपुर, जिला - बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(तेरह) संरक्षित स्मारक "गढ़गांव राजमहल, जिला- शिवसागर, असम" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(चौदह) संरक्षित स्मारक “16 मंदिरों के अवशेष, आदिबद्री, जिला-गढ़वाल (जो कि अब चमोली में है), उत्तराखंड” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(पंद्रह) संरक्षित स्मारक “परगना चांदपुर, चमोली, उत्तराखंड में चांदपुर किला, इसकी दीवारों तथा इसके भीतर स्थित रिहाइशी मकानों के खंडहरों और खड़ी सीढ़ियों के अवशेष,” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सोलह) संरक्षित स्मारक “बिष्णुपुर किले का छोटा प्रवेश द्वार, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सत्रह) संरक्षित स्मारक “राधाश्याम मंदिर, बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(अठारह) संरक्षित स्मारक “नंदलाल मंदिर, जोरा मंदिर, राधागोबिंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और काला चंद मंदिर, बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(उन्नीस) संरक्षित स्मारक “सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 19/I के भाग में शामिल निकटवर्ती भूमि के साथ कालेश्वर मंदिर सहित अमलेश्वर उपनाम ममलेश्वर मंदिर समूह, गोदड़पुरा, जिला - खंडवा, मध्य प्रदेश " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(बीस) संरक्षित स्मारक “सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 2800 और 2804, में शामिल निकटवर्ती भूमि के साथ अवन्तीस्वामी मंदिर,अवंतीपुरा क्षेत्र, तहसील-पुलवामा, जिला-अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(इक्कीस) संरक्षित स्मारक " तैली हाट, तहसील-गरूर, जिला- बागेश्वर, उत्तराखंड में स्थित इंडो-आर्यन सिखरा प्रकार के तीन मंदिर जिन्हें लक्ष्मी नारायण,

राक्षस देवल और सत्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(बाईस) संरक्षित स्मारक " तैली हाट, तहसील-गरूर, जिला- बागेश्वर, उत्तराखंड में स्थित इंडो-आर्यन सिखरा प्रकार के तीन मंदिर जिन्हें लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल और सत्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(तेईस) संरक्षित स्मारक "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 161 और 163 में शामिल निकटवर्ती भूमि सहित रुद्रनाथ मंदिर और एक लोहे का त्रिशूल जिसकी शाफ्ट 16 फीट ऊंची है, जिस पर एक प्राचीन और तीन आधुनिक शिलालेख हैं और जो एक सुंदर पुराने मंदिर के परिसर में स्थित है तथा जिसका पुनरूद्धार अमर सिन्हा थापा द्वारा कराया गया था, गोपेश्वर, जिला-चमोली, उत्तराखंड" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(चौबीस) संरक्षित स्मारक "जफर खान गाजी की दरगाह, त्रिबेणी, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(पच्चीस) संरक्षित स्मारक "ग्वालियर, मध्य प्रदेश में मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; और प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिदें, साथ ही प्लॉट संख्या 199 और 200 में शामिल पूरी भूमि जो कि एक चारदीवारी से घिरा हुआ है" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश (समग्र शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश (समग्र शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश) लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश) लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा, केरल (स्टार्स), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा, केरल (स्टार्स), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश (स्टार्स), भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश (स्टार्स), भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (स्टार्स योजना), भुवनेश्वर की वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(दो) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (स्टार्स योजना), भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा), गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा), गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/239 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/240 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/241 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/242 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/248 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और प्रतिभूति रसीदों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/247 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/236 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/243 प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/244 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) एफ.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/234 जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230 का शुद्धिपत्र शामिल है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सात) से (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ.1729(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और उनकी सामग्रियों को विनिर्मित औषधियां घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.1730(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या का.आ.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चार) का.आ.1731(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (सम्राट राजेंद्र चोल-एक के नौसैनिक अभियान के 1000

वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) (एक) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उपधारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनिवार्य समापन जो दिनांक 27 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईआरडीएआई/आरआई/6/213/2025 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3470(अ) में प्रकाशित

हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओपी एवं एसपी/एसके/2025-26/04 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) 2024-2025 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बाजार उधारी पर विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जैविक विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा), विनियम, 2025 जो दिनांक

30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनबीए/टेक/ईसी/9/14/32 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जैव विविधता (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295(अ) में प्रकाशित हुए थे।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर, संबलपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर, संबलपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/अकादमिक/2025/113 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अध्यादेश बनाया गया है।

(दो) एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि (पीएच.डी.) संबंधी अध्यादेश जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.एन.बी.जी.यू./ अकादमिक/ 2025/114 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित स्व-वित्तपोषण कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले विनियम, 2023 जो दिनांक 27 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीयूजे/विनियमन/04/2010/ खंड II में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना संख्या सीयूपीबी/24/ऑर्ड./4063 जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश संख्या तीन, तैंतीस और चौंतीस के संबंध में उसमें उल्लिखित संशोधन किए गए हैं।

(पांच) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/अकादमिक/2025/115 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में परीक्षा समिति के गठन, कोरम, बैठकों, शक्तियों और कार्यों के लिए उसमें उल्लिखित संशोधन किए गए हैं।

(15) उपर्युक्त (14) की मद संख्या (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातक पूर्व उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानक) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-3/2021/क्यूआईपी/मल्टीपल एंट्री-एग्जिट में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 8 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 489 (केवल हिंदी संस्करण) का शुद्धिपत्र भी प्रकाशित किया गया है, की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. *राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 7 अगस्त, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 तथा मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण गोविल ने 'भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने 'अर्थव्यवस्था, विशेषकर डिजिटल लैंडस्केप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती हुई भूमिका' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

* अपराह्न 4.05 बजे

7. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सी.एम. रमेश ने रेल संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सड़क ओवर ब्रिज/सड़क अंडर ब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों का निर्माण और रखरखाव' विषय के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(4) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजू बिष्ट ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'स्वच्छ और हरित गांव: पंचायतों की भूमिका' संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

11. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दर्शन सिंह चौधरी ने ‘उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन’ के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 356वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 362वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

एक. विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाना' के बारें में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'साइबर सुरक्षा और साइबर/सफेदपोश अपराधों की बढ़ती घटनाएं' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'बीमा क्षेत्र की निष्पादन समीक्षा और विनियमन' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 66वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

दो. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के

कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 2.07 बजे

13. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

(दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025

(तीन) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

अपराह्न 2.09 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा कर्नाटक सरकार पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू किए जाने के लिए दबाव बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के कंधमाल में 50 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के साथ-साथ जिले में मौजूदा औषधालयों को अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अरुण गोविल द्वारा देश के प्रत्येक जिले और नगर में 'जैविक हाट' स्थापित किए जाने और उनको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना

किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री धर्मबीर सिंह द्वारा 'हेरी' समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री रमेश अवस्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर के पांडु नगर में ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के बारे में।

7. श्री लुम्बाराम चौधरी राजस्थान के जालौर किले तक रोपवे का निर्माण शुरू किए जाने तथा किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री राजकुमार चाहर द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे चंबल अभयारण्य की सीमा के सीमांकन किए जाने के बारे में।

9. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ओडिशा में सड़कों के निर्माण और विकास के बारे में।

10. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा तेलंगाना के महबूबनगर जिला मुख्यालय में आईआईएम और एनआईटी की स्थापना के बारे में।

11. श्री मनीष जायसवाल द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किए जाने और जैव-कृषि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री पी.सी. मोहन द्वारा बेंगलुरु में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री जी. के. नायक द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विकास की प्रक्रिया में की भागीदारी करने और योगदान देने राज्यों को सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा डब्ल्यूसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का प्रतिकर, पुनर्वास एवं रोजगार दिए जाने के बारे में।

15. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम के एझुकोन स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल में आयुष मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने

की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री मणिक्कम टैगोर बी. द्वारा तमिलनाडु में मदुरै और तिरुप्परनकुन्द्रम के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 367 पर प्रस्तावित आरओबी के निर्णय को वापस लेने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बलवा गांव के पास पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-यमनोत्री मार्ग के जंक्शन पर दुर्घटना संभावित डार्क स्पॉट्स को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री राजीव राय द्वारा असंगठित क्षेत्र में रोजगार और उत्पादकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री कीर्ति आज़ाद झा द्वारा दामोदर घाटी निगम द्वारा पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बारे में।

20. श्रीमती जून मालिया द्वारा दिल्ली में 'बांग्ला' बोलने के लिए व्यक्तियों की कथित गिरफ्तारी के बारे में।

21. श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा देश में अगरबत्ती के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर आयात शुल्क में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।

23. **डॉ**. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के सबेया हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं का संचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

24. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के नासिक जिले में नशीली पदार्थों के संकट से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में।

25. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और जुए को नियंत्रित करने के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद की स्थिति को देखते हुए आंध्र प्रदेश में जलीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा देश में समावेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता के बारे में।

28. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज द्वारा केरल के कुट्टनाड में बाढ़ और लवणता प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण - वेम्बनाड आर्द्रभूमि का पारिस्थितिकी पुनरुद्धार - परियोजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.10 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025.

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025.

आवंटित समय: 8 घंटा

लिया गया समय: 34 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयकों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री केसिनेनी शिवनाथ
2. श्री गणेश सिंह

डॉ. मनसुख मांडविया ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025.

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025.

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.00 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

(दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025

लिया गया समय: 4 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयकों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया

(एक) आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 536 स्वीकृत हुए।

अनुसूची एक से सोलह स्वीकृत हुईं।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

(दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

अनुसूची एक से सोलह स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्‌वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 / 21 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 85

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 325 और 327 लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 325 और 327 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को जिन आधारों पर पद से हटाने के लिए अनुरोध किया गया है, उनकी

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

जाँच के लिए निम्नलिखित तीन सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति गठित किए जाने की घोषणा की:-

एक) माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

दो) माननीय न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; और

तीन) श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय

अपराह्न 12.11 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक

1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.374(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1563(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 या यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के स्थान पर 1 जुलाई, 2025 से प्रतिबंध के बारे में है।

(दो) का.आ.2920(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर 1 जुलाई, 2025 से देशभर में प्रतिबंध के बारे में है ।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 19 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.884(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1368(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1815 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एल्युमीनियम और एल्युमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2021(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 16 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2682(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) और का.आ.2683(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) घरेलू, वाणिज्यिक और समान विद्युत उपकरण सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2232(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2283(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3385(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2863(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-I (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ.2887(अ) जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-। (आयात नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के बारे में है।

(तीन) का.आ.2951(अ) जो दिनांक 1 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को जारी रखने के बारे में है।

(चार) का.आ.2952(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल सोडा ऐश के आयात पर न्यूनतम आयात

मूल्य (एमआईपी) शर्त को बढ़ाए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ.3290(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-। (आयात नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के संबंध में दिनांक 27 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या 21/2025-26 के शुद्धिपत्र के बारे में है।

(छह) का.आ.3459(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 40/2024-25 के शुद्धिपत्र के बारे में है ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्रालय, संघ सरकार (वित्तीय लेखापरीक्षा) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2025 का 4) ।

(2) मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए आर्थिक और सेवा मंत्रालयों (अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का 7) ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (अनुपालन लेखा परीक्षा - सिविल), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के क्रियाकलापों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का 8) ।

(4) मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (रेल वित्त), रेल मंत्रालय- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का 9) ।

(5) मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का 11) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(6) मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - अप्रत्यक्ष कर - माल और सेवा कर, राजस्व विभाग- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का 12)।

(7) सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर (निष्पादन लेखापरीक्षा) - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय-भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का 13) ।

(8) वर्ष 2023-2024 के लिए वित्त मंत्रालय, संघ सरकार (वित्तीय लेखापरीक्षा) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का 16)।

(9) वर्ष 2023-2024 के लिए संघ सरकार-रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(10) वर्ष 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), विनियोग लेखे - भाग एक - समीक्षा।

(11) वर्ष 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), विनियोग लेखे - भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे।

(12) वर्ष 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), विनियोग लेखे - भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) कीटनाशक (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कीटनाशक (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) का.आ.2703(अ) जो 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 जो दिनांक 9 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008 जो दिनांक 14 मार्च, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा शुक्रवार, 24 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में श्री पी. विल्सन के राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति के स्थान

पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा श्री पी. विल्सन, जिन्हें उक्त संयुक्त समिति में रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया है, के नाम की सूचना भी दी।

(दो) कि राज्य सभा 11 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा 11 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा यथापारित गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री कौशलेन्द्र कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :

(1) 'शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' से संबंधित अंतिम निर्णय के लिए सीओपीयू को संदर्भित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(नों)/पैरा(ओं) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के बारे में 2023 के प्रतिवेदन संख्या 16 के पैरा संख्या 4.2 की लेखापरीक्षा आधारित जांच संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(4) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार

द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(5) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

7. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री के.सी. वेणुगोपाल ने **'**सार्वजनिक अवसंरचना और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं पर शुल्क**,** टैरिफ**,** प्रयोक्ता प्रभार आदि का अधिरोपण और विनियमन**'-** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचएआई विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-26) का तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) 'तेल पीएसयू से संबंधित मुकदमेबाजी' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(3) 'कच्चे तेल के आयात पर नीति की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के तेईसवें प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन ।

9. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री श्रेयस एम. पटेल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) (मांग संख्या 10) के बारे में समिति के 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 191वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) (मांग संख्या 11) के बारे में समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 192वां प्रतिवेदन ।

(3) 'भारतीय चमड़ा उद्योग: वर्तमान विश्लेषण और भविष्य की संभाव्यताएं' के बारे में 193वां प्रतिवेदन।

(4) 'कुछ कोमोडिटी बोर्डों के निष्पादन मूल्यांकन और समीक्षा' के बारे में 194वां प्रतिवेदन।

11. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. हेमांग जोशी ने 'विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 358वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 367वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) ने (एक) डॉ. कल्याण वैजनाथराव काले, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 11.03.2025 को 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी' के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 165 (अंग्रेजी संस्करण) के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) (मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(तीन) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

13. 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.19 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री अतुल गर्ग द्वारा जीएसटी के अंतर्गत विसंगतियों के परेशानी मुक्त समाधान के बारे में।

2. श्री आशीष दुबे द्वारा जबलपुर, मध्य प्रदेश में एमआईसीई पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

3. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत हमीरगढ़ हवाई पट्टी से विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

4. श्री हरीभाई पटेल द्वारा राजस्थान के महेसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएफ परिसर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा शहरों में हरित क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

6. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजहरा कोयला खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही राजहरा कोयला खदानों में खनन गतिविधियों को भी पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

7. श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम के दरांग-उदलगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

8. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान' को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

9. श्री रोडमल नागर द्वारा उज्जैन-झालावाड़ रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

10. श्री नवीन जिंदल द्वारा हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बारे में ।

11. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा शहरों में सार्वजनिक पार्कों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

12. श्रीमती संजना जाटव द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेल संबंधी मुद्दों के बारे में ।

13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा देश में 'पंजीकृत डाक' प्रणाली को समाप्त करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

14. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत धुले, महाराष्ट्र में इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल में विशेष रूप से पलक्कड़ जिले में धान खरीद नीति के अंतर्गत किसानों को गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

16. श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा हरियाणवी भाषा के कवि पंडित लख्मीचंद के सम्मान में हरियाणा-दिल्ली सीमा पर एक द्वार (गेट) बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

17. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पतालों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

18. श्री देवेश शाक्य द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के बारे में।

19. तिरु अरुण नेहरू द्वारा तमिलनाडु के मुसिरी में बड़ी क्षमता वाले आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

20. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा आंध्र प्रदेश के बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईआईटी) में बुनियादी सुविधाओं और प्रोद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता के बारे में ।

21. श्री राजेश वर्मा द्वारा बिहार के भागलपुर में हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

22. श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान के सीकर जिले में पानी की भारी कमी के बारे में ।

23. श्री सुधाकर सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान किए बिना भूमि के कथित जबरन अधिग्रहण के बारे में ।

24. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले में राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

25. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सांगली या कोल्हापुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.20 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.01 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

भारतीय पतन विधेयक, 2025

आवंटित समय: 3 घंटा

लिया गया समय: 24 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री दिलीप शइकीया
2. श्री श्रीभरत मुतुकमिल्ली

3. श्री दर्शन सिंह चौधरी

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 85 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची से तीसरी अनुसूची स्वीकृत की गईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.30 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

लिया गया समय: 30 मिनट

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती मालविका देवी
2. श्री जी. लक्ष्मीनारायण
3. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

श्री जी. किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.00 बजे

17. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2025.

18. प्रस्ताव - स्वीकृत

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए।
>
> समिति के सदस्यों के नामों का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
>
> समिति से संबंधित निबंधन और शर्तें माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णीत की जाएंगी।
>
> समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 18 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 86

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341, 342 और 345 लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 343, 344 और 346 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 341, 342, 345 और 347 से 360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोकसभा

1.	विवरण संख्या 35	सातवां सत्र, 2011
2.	विवरण संख्या 36	नौवां सत्र, 2011

सोलहवीं लोकसभा

3.	विवरण संख्या 28	बारहवां सत्र, 2017
4.	विवरण संख्या 21	पंद्रहवां सत्र, 2018
5.	विवरण संख्या 21	सोलहवां सत्र, 2018-19
6.	विवरण संख्या 18	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोकसभा

7.	विवरण संख्या 27	पहला सत्र, 2019
8.	विवरण संख्या 22	पांचवा सत्र, 2021
9.	विवरण संख्या 21	छठा सत्र, 2021
10.	विवरण संख्या 15	सातवां सत्र, 2021
11.	विवरण संख्या 15	आठवां सत्र, 2022
12.	विवरण संख्या 13	नौवां सत्र, 2022
13.	विवरण संख्या 11	ग्यारहवां सत्र, 2023
14.	विवरण संख्या 9	बारहवां सत्र, 2023
15.	विवरण संख्या 9	चौदहवां सत्र, 2023

16. विवरण संख्या 7 पन्द्रहवां सत्र, 2024

अठारहवीं लोकसभा

17. विवरण संख्या 6 दूसरा सत्र, 2024

18. विवरण संख्या 5 तीसरा सत्र, 2024

19. विवरण संख्या 3 चौथा सत्र, 2025

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**;** तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री जयंत चौधरी**)** ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) (एक) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (स्टार्स स्कीम) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (स्टार्स स्कीम) के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1625(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(दो) का.आ.1626(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(तीन) का.आ.1627(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक के गुजरात ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(चार) का.आ.1628(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और एलाक्वाय देहाती बैंक के जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(पांच) का.आ.1629(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक के कर्नाटक ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(छह) का.आ.1630(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(सात) का.आ.1631(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(आठ) का.आ.1632(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक के ओडिशा ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(नौ) का.आ.1633(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक के राजस्थान ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है ।

(दस) का.आ.1634(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1635(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 528(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित "पाउडर रूप में ब्लैक टोनर" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 535(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से "बुने हुए कपड़ों (50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले) जिन्हें आमतौर पर फ्लैक्स फैब्रिक के रूप में जाना जाता है" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 फरवरी 2026 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का. आ. 3235**(**अ**)** जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का. आ.3540(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) यूको बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पाँच) केनरा बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों

संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) इंडियन बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त मद संख्या (4) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) बैंककारी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रत्रिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) वर्ष 2024-2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - प्रत्यक्ष कर पर संघ सरकार का प्रतिवेदन (2025 का 14)-अनुपालन लेखापरीक्षा (सिविल), राजस्व विभाग।

(दो) वर्ष 2023-2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (2025 का संख्यांक 19)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, कोयंबटूर के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, कोयंबटूर के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 12 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 12 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा को 11 अगस्त, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित आय-कर विधेयक, 2025 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को 11 अगस्त, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025.

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025.

6. प्रस्ताव

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

> "कि जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों वाली लोक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए।
>
> समिति से संबंधित निबंधन और शर्तें माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णीत की जाएंगी।
>
> समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करेगी।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

7. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली में दुकानों को डी-सील किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री अतुल गर्ग द्वारा जीएसटी विवादों और जवाबदेही की निगरानी के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में।

3. डॉ. के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में नंदी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान का कुशल कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के गंजम जिले में रुशिकुल्या नदी और अडांगी नल्ला पर स्थित पिपलपंका बांध परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री मनीष जायसवाल द्वारा हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मां छिन्नमस्ता मंदिर परिसर को धार्मिक पर्यटन गलियारे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री राजू बिष्ट द्वारा पृथक राज्य 'गोरखालैंड' के गठन की मांग के बारे में।

7. श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम में कैंसर के बढ़ते मामलों के बारे में।

8. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु संग्रहालय में भगवान बुद्ध के पुरावशेषों को पुनः स्थापित किए जाने का अनुरोध के बारे में।

9. श्री यदुवीर वाडियार द्वारा देशी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के मैसूर और कोडागु में क्षेत्रीय खेल अकादमियों की स्थापना के बारे में।

10. श्री नवीन जिंदल द्वारा केंद्रीकृत रियलटाइम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मॉनीटरिंग सिस्टम की मांग के बारे में।

11. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा देश में अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा और राहत बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री वरुण चौधरी द्वारा एमएसएमई में निविदाओं की बोली प्रक्रिया के बारे में।

15. श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा तेलंगाना के जहीराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अवसंरचना विकसित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री एम. के. राघवन द्वारा केरल में आवारा कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा वल्लारपदम, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 966ए का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल में सबरीमाला हवाई अड्डे का समय पर निर्माण किए जाने के बारे में।

19. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध के बारे में।

20. श्री नीरज मौर्य द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कथित अनियमितताओं की उच्च-स्तरीय जांच की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा तमिलनाडु में कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र सरकार के हिस्से का आनुपातिक तथा समय पर अंशदान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के दूसरे परिसर की स्थापना के बारे में।

23. श्रीमती लवली आनंद द्वारा “प्रसाद” योजना के अंतर्गत शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के बारे में।

24. श्री संजय दिना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र में दौंड से पुणे तथा बारामती से पुणे तक चलने वाली डेमू रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के मुद्दानुरु रेलवे स्टेशन पर वहां से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री अमरा राम द्वारा किसानों के कर्ज का बोझ कम करने के लिए एकमुश्त ऋण माफी की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री राजकुमार रोत द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा।

लिया गया समय: 31 मिनट

अध्यक्ष ने इस विषय पर टिप्पणी* की।

तत्पश्चात्, डॉ. जितेंद्र सिंह# ने चर्चा आरंभ की।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

अपराह्न 2.31 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 / 28 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 87

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही के बाईस आधिकारिक भाषाओं में साथ-साथ भाषांतरण के बारे में घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 363 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 364 से 380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3003(अ), जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3087(अ) में प्रकाशित "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (मैट्रन), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.478(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 35/2025-सीमा-शुल्क, जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास को 19 अगस्त, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक 11% के आयात शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखे*।

* अपराहन 2.00 बजे

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 18 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में दोनों सभाओं की अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति में सम्मिलित होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:-

1. श्री मस्तान राव यादव बीडा
2. श्री राजेन्द्र गहलोत
3. श्री शुभाशीष खुंटिया
4. श्री मयंककुमार नायक
5. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार
6. डॉ. कल्पना सैनी
7. श्री सी.वी. षनमुगम
8. श्री अशोक सिंह
9. डॉ. भीम सिंह
10. डॉ. वी. शिवादासन

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) लक्षद्वीप में पर्यटन के संवर्धन और विकास तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री प्रवीण कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन पर

याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(2) सेल पेंशन योजना के संशोधन और इससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में श्री बी.एस. नरसिम्हन से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छियालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बिप्लब कुमार देब ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री इटेला राजेंदर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने वाले वर्तमान संसद सदस्य की पात्रता के बारे में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (अठारहवीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(5) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन' विषय के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

11. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. के. सुधाकर ने 'वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में भारतीय आर्थिक विकास के लिए रोडमैप' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विजय कुमार दूबे ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'दिशा समितियों का प्रभावी कार्यकरण' के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'ग्राम ऊर्जा स्वराज: ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना' के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

13. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री विजय कुमार दूबे ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार - मजदूरी दर और उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी जानकारी (2023-24)' के बारे में सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

एक. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन,

पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

दो. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

15. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री संजय सेठ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) और उप-धारा (1क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्रीमती भारती पारधी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निर्वासित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे मेल सेवा बंद करने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के संचालन का विस्तार किए जाने तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा बंजारा समुदाय की गोर बोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पश्चिमी राजस्थान के जल की कमी वाले जिलों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत जल पुनर्आबंटन और संचरण ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पर्यावरणीय मुद्दों पर एन ई ई आर आई, नागपुर द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकों में खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में समुदाय केंद्रित विकेन्द्रीकृत स्वचालित मौसम पूर्वानुमान स्टेशनों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश में भूजल के न्यायसंगत और सतत उपयोग के लिए भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 को संशोधित किए जाने और विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा वर्ष 2008 में वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने और उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में कथकली नृत्य के उद्गम स्थल कोट्टाराक्कारा को विशेष धरोहर का दर्जा दिए जाने तथा वहां एक राष्ट्रीय कथकली सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री चमाला किरण रेड्डी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को 42% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पंजाब के गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मकोरा पट्टन में ब्यास नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा तमिलनाडु में कीझाडी उत्खनन के प्रकाशन की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वार्षिक बाढ़ को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में बंद पड़ी स्वदेशी सूती मिल की भूमि पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री जगदीश चन्द्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पश्चिम बंगाल के घुघुमारी में आरओबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. तिरु थंगा तमिलसेल्वन द्वारा डिंडीगुल से थेनी के रास्ते सबरीमाला तक नई रेल लाइन बिछाने के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा राज्य में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए आंध्र प्रदेश को खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा आगामी 2027 की जनगणना में अनाथ बच्चों की गणना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12211/12212) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में मुगल साम्राज्य और टीपू सुल्तान से संबंधित हटाए गए अध्याय को पुनः शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री चंदन चौहान द्वारा सोशल मीडिया और इंटरनेट के नकारात्मक प्रभाव से निपटने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा नाइजर में बंदूकधारियों द्वारा भारतीय प्रवासियों के अपहरण के बारे में।

29. एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा आईआईटी और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों में प्रोफेसरों की भर्ती में पारदर्शिता की कमी के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

17. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर आगे विशेष चर्चा।

लिया गया समय: 39 मिनट

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर आगे विशेष चर्चा जारी रही।

डॉ. निशिकान्त दुबे ने चर्चा में भाग लिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.01 बजे

18. सरकारी विधेयक - पारित

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025.

लिया गया समय: 07 मिनट

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 20 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

--

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 अगस्त, 2025 / 29 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 88

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* के संबंध में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-20/टी (रीसाइकिल्ड प्लास्टिक्स-एन) में प्रकाशित हुए थे।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-21/टी (अल्कोहल-6) में प्रकाशित हुए थे।

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी / 43-एफए-अधिसूचना/2024 में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारतीय रेल में लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ-सफाई और स्वच्छता के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का 15) - निष्पादन लेखापरीक्षा (रेलवे), रेल मंत्रालय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 06 अगस्त 2025 को सभा पटल पर रखे गए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 500(अ) जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (केवल हिन्दी संस्करण में) तथा जिसमें, उसमें उल्लिखित, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2025 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तीन) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.525(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.488(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 19 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो)* कि राज्य सभा 20 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:-

1.	श्री शाहू शाहाजी छत्रपति	10.03.2025 से 04.04.2025
2.	श्री छ. उदयन राजे भोंसले	24.07.2025 से 12.08.2025
3.	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	21.07.2025 से 12.08.2025 और 18.08.2025 से 21.08.2025

* अपराहन 5.00 बजे

4.	श्री अमृतपाल सिंह	31.01.2025 से 13.02.2025 और 10.03.2025 से 04.04.2025 और 21.07.2025 से 08.08.2025
5.	श्री अजय कुमार मंडल	21.07.2025 से 12.08.2025
6.	श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी	21.07.2025 से 12.08.2025 और 18.08.2025 से 21.08.2025

6. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'स्वदेशी पशु नस्लों के संरक्षण और विकास में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका' विषय के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में गोपशुओं में लम्पी त्वचा रोग के फैलाव और तत्संबंधी मुद्दे' विषय के बारे में 66वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 8वें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) हेतु योजना - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में 67वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन ।

(6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) (18वीं लोक सभा) संबंधी छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(7) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'मत्स्ययन बंदरगाहों का विकास और आधुनिकीकरण' विषय के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(8) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित " 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में की गई पहलें " विषय के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

7. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री चरनजीत सिंह ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'मत्स्यपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन की संभावना' विषय के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण (2023-24) संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरक पीएसयू के विनिवेश से संबंधित मामले - एक समीक्षा' के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक की खराब/घटिया गुणवत्ता के उपयोग और भारतीय जलवायु की चरम स्थितियों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे' के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

9.   आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10.   गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतीश कुमार गौतम ने 'साइबर अपराध - जटिलताएं, सुरक्षा और रोकथाम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 254वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11.   शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और खेलो इंडिया के कार्यकरण और निष्पादन की समीक्षा' संबंधी 369वां प्रतिवेदन।

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'निजी शिक्षण संस्थाओं सहित शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के विशेष प्रावधान के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन' संबंधी 370वां प्रतिवेदन।

12.   परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने 'नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा की समग्र समीक्षा' विषय के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 380वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा सैटकॉम निगरानी सुविधा परियोजना के संबंध में व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण।

(दो) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जुटाए गए संप्रभु गारंटी बांड पर ब्याज की अदायगी के लिए भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण।

2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-2025)' संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-2025)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

4. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-2025)' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का कार्यकरण' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'उचित मूल्य की दुकानों का रूपांतरण' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.11 बजे

14. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025.

अपराह्न 12.12 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 100 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी (एयर विंग) के प्रशिक्षण के बारे में।

4. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल निकायों के विकास के बारे में।

5. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर रेलवे सुरंग परियोजना के तीसरे चरण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के युवा वर्ग को कुशल सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के खेतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत पारेषण लाइनों के कारण उन्हें हुए नुकसान के बदले मुआवजा दिए जाने के बारे में।

8. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले में हल्दी बोर्ड का अनुषंगी कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री लुम्बा राम चौधरी द्वारा राजस्थान में शिवगंज और सिरोही जिला मुख्यालय के बीच उथमन टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निवासियों के लिए टोल टैक्स की दर में वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री मनीश तिवारी द्वारा चंडीगढ़ में संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करवाने के लिए बढ़े हुए रूपांतरण शुल्क संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा तेलंगाना में कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री राहुल कस्वां द्वारा विदेशों में मरने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए एक त्वरित तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई नगर निगम और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

14. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शेख-उल-हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल किए जाने के लिए विधान सभाओं द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. तिरु अरुण नेहरू द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

17. श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में निर्धारित कुल राशि का 5% तमिलनाडु को आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण के बारे में।

19. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में अपनी भूमि पर पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में।

20. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले में नशीली दवाओं के निर्माण और तस्करी में कथित वृद्धि के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

16. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025.

(दो) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025.

(तीन) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025.

सर्वश्री असादुद्दीन ओवैसी, मनीश तिवारी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, के.सी. वेणुगोपाल और धर्मेन्द्र यादव ने विधेयकों के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

अपराह्न 3.03 बजे

17. प्रस्ताव - स्वीकृत

श्री अमित शाह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक; संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय उपसभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;
>
> कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;
>
> कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;
>
> कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और
>
> कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 5.03 बजे

18. सरकारी विधेयक - पारित

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025.

लिया गया समय: 06 मिनट

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

--

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 / 30 श्रावण, 1947 (शक)

संख्या 89

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/252 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/253 में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक, इंजीनियरी और ट्रेड्समैन काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025, जो 1 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे ,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2013(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, भूमि पत्तनों को एकीकृत जांच चौकियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 जो 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3401(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतर्देशीय पोत (सर्वेक्षण और प्रमाणन) संशोधन नियम, 2025 जो 1 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1564(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, हरियाणा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ.1881(अ) और का.आ. 1882(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को सिक्किम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.1885(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का.आ.1886(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का.आ.1887(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 (पुराना एनएच-55) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का.आ.1954(अ) और का.आ.1955(अ) जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(सात) का.आ.2415(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (नया एनएच-15), 515 (पुराना एनएच-52) और 6 (पुराना एनएच-40) के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(आठ) का.आ.2416(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(नौ) का.आ.2417(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.2419(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.878(अ) को निरस्त किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.2631(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सिक्किम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(बारह) का.आ.2958(अ) जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग संख्या 151ए को गुजरात राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तेरह) का.आ.3079(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौदह) का.आ.3483(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पंद्रह) का.आ.3495(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनई 9 को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(सोलह) का.आ.3291(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, त्रिपुरा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(सत्रह) का.आ.3292(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को

निरस्त कर दिया गया है।

(अठारह) का.आ.3293(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी , 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उन्नीस) का.आ.3376(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 275के के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बीस) का.आ.3377(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इक्कीस) का.आ.3478(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बाईस) का.आ.3294(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1883(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136, 383 और 544 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ.1884(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ.465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.3078(अ) जो 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, झारखंड राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 39 (पुराना एनएच-75) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का.आ.3376(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 275के के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का.आ.3477(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (पुराना 10) 44, 1 और 2 (पुराना) और 148ए (पुराना 236) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का.आ.3479(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ.78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सात) का.आ.3480(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.5421(अ) को निरस्त किया गया है ।

(आठ) का.आ.3481(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.3140(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(नौ) का.आ.3482(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347बी के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दस) का.आ.2418(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ.78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ.सं.एमयू/1-10/2022 जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अध्यादेश संख्या ए-5, ए-6, ए-7, ए-8, ए-9, ए-10, ए-11, ए-12, ए-13, बी-1, बी-2, बी-4, बी-6, बी-7, बी-8, बी-9, बी-10, सी-3, सी-4, सी-9, सी-11, डी-10, डी-11, डी-12, डी-13, डी-15, ई-3, ई-4, ई-10, ई-11, एफ-1, एफ-4, एफ-6, जी-3 और जी-6 के (सामान्य जानकारी के लिए) प्रकाशन के बारे में है।

(2) अधिसूचना संख्या एमयू/2-2/2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियम 15(1) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एमयू/2-2/2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियम 19(2) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही-सारांश

श्री बिप्लब कुमार देब ने दिनांक 18.08.2025 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री किशोरी लाल द्वारा लखनऊ-रायबरेली-अमेठी-वाराणसी खंड पर अमीन नगर तेंदुआ रेलवे हॉल्ट स्टेशन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री हैबी ईडन द्वारा केरल तट पर समुद्री आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने तथा ऐसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक विनियमन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सभी पात्र गांवों को शामिल करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए शीघ्र अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा बैंकों द्वारा खाताधारकों पर लगाए गए गुप्त प्रभारों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. तिरु डी. एम. कथीर आनंद द्वारा देश में पंजीकृत डाक सेवाओं की बहाली के बारे में।

9. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बगहा स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को 'राष्ट्रीय छात्रवृति योजना' का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर मराठी साहित्य के लिए समर्पित बुक स्टॉल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 183 के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए अनुमोदन के बारे में।

अपराह्न 12.05 बजे

7. *विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने अठारहवीं लोक सभा के पाँचवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.11 बजे

8. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.12 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।